

भारतीय मानक ब्यूरो
राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान
ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा-201301, (यू.पी.)

निविदा सूचना

संदर्भ: एनआईटीएस/एडीएमएन/1:9

30.08.2016

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ए-20-21, सैक्टर 62, नोएडा, यू.पी. में स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) में **इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव** के हेतु योग्य एवं इच्छुक फर्मों/कम्पनियों से द्विबोली प्रणाली में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय 19.09.2016 (सोमवार) 1400 बजे तक है और तकनीकी बोलियां उसी दिन 1430 बजे खोली जाएंगी ।

ब्यूरो किसी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखता है।

उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

भारतीय मानक ब्यूरो
राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान
ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा-201301, (यू.पी.)

निविदा सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो निम्नलिखित विवरण के अनुसार योग्य एवं इच्छुक बोलीदाताओं से ए-20-21, सैक्टर 62, नोएडा, यू.पी. में स्थित राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) में **इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव** के हेतु योग्य एवं इच्छुक फर्मों/कम्पनियों से द्विबोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की करता है।

1. योग्यता

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सीपीडब्लूडी/पीडब्लूडी (एनसीटीडी)/सीसीयू के साथ कम से कम वर्ग-IV के रूप में अथवा उत्तर प्रदेश, पीडब्लू डी में समकक्ष के साथ ठेकेदार के रूप में वैध पंजीकरण हो।

अथवा

जो ठेकेदार सीपीडब्लूडी के साथ पंजीकृत न हो उन्हें नीचे दिए गए अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले 7 वर्षों में कार्य के संतोषजनक निष्पादन का मानदंड पूरा करना होगा :-

- तीन समान कार्य (जैसा कि अनुसूची 2 के खंड 6 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में दिया गया है) जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.7,20,000 से कम न हो
अथवा
- दो समान कार्य (जैसा कि अनुसूची 2 के खंड 6 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में दिया गया है) जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.4,80,000 से कम न हो
अथवा
- एक समान कार्य (जैसा कि अनुसूची 2 के खंड 6 के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में दिया गया है) जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु.9,60,000 से कम न हो
- दिल्ली/एनसीआर/उत्तर प्रदेश में श्रमशक्ति (मैनपावर) सेवाएं प्रदत्त कराने के लिए कार्मिक तैनात करने हेतु कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड ऐबलिशन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध लाइसेंस हों
- आयकर विभाग द्वारा जारी वैध पैन हों, (स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी होंगी)
- भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के विभागों/मंत्रालयों द्वारा काली सूची में न डाला गया हो (विशिष्ट प्रपत्र में घोषणा देनी होगी)

2. संविदा की प्रस्तावित वैधता : तीन वर्ष

3. निविदा दस्तावेज की उपलब्धता :

स्थान : कार्यालय समय के दौरान राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा-201301, (यू.पी.) तथा www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in

अवधि : 30 अगस्त 2016 से 19 सितंबर 2016

4. बोली पूर्व कान्फ्रेंस : 06 सितंबर 2016 (मंगलवार) को 1500 बजे

5. बोलियां खुलना : तकनीकी बोलियां 19 सितंबर 2016 को 1430 बजे खोली जाएंगी।

6. बोलियां जमा करने की पद्धति/तरीका : लिफाफा जिस पर "एनआईटीएस (बीआईएस) में इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव हेतु बोली" अंकित हो और जिसमें "तकनीकी बोली" और "वित्तीय बोली" वाले दो लिफाफे हों जिस पर पक्ष का नाम एवं पता हो जो कि "उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा, (यू.पी.)" को भेजा जाए।

7. धरोहर राशि जमा : ₹.50,000/- (अनुसूची-1 के अनुसार)

8. कार्यकारिता प्रतिभूति जमा : संविदा दिए जाने के कुल वार्षिक मूल्य की 10%

9. बोलियों की वैधता : तकनीकी बोली खुलने से 90 दिन तक ।

10. ब्यूरो बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

उप निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

निविदा दस्तावेज
अनुसूची - 1 बोलीदाताओं हेतु निर्देश

1 बोलियों के आमंत्रण हेतु सूचना :

1.1 भारतीय मानक ब्यूरो निविदा दस्तावेज की अनुसूची-2 में उल्लिखित के अनुसार योग्य बोलीदाताओं से राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) में इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव के हेतु योग्य एवं इच्छुक फर्मों/कम्पनियों से द्विबोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की करता है।

2 निविदा दस्तावेज जारी करना :

2.1 रिक्त निविदा दस्तावेज कार्यालयीन समय के दौरान अनुसूची-4 में दशाई गई अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे।

2.2 ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in से भी निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2.3 निविदा को जारी करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने पर इसकी सूचना बोली जमा करने से पूर्व बोली में समाविष्ट करने के लिए शुद्धिपत्र/अनुशेष के रूप में भावी बोलीदाता को दी जाएगी।

2.4 बोली दस्तावेज में कहीं भी किसी परिवर्तन और परिवर्द्धन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाए जाने पर बोली निरस्त की जा सकती है।

2.5 बोलीदाता की बोली को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से जुड़े सभी व्यय का वहन बोलीदाता को करना होगा। बोली प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी होने पर ब्यूरो किसी भी स्थिति में ऐसे व्यय के लिए उत्तरदायी या देनदार नहीं होगा।

3. बोली/संविदा की भाषा

3.1 बोली की भाषा अंग्रेजी/हिंदी होनी चाहिए और सभी पत्राचार इत्यादि अंग्रेजी/हिंदी में हों।

4. बोली पूर्व कान्फ्रेंस

4.1 सूचित तिथि एवं अनुसूची-4 में दर्शाए गए समय पर सभी अभीष्ट बोलीदाताओं के लिए बोली पूर्व कांफ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें अभीष्ट बोलीदाता किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण, यदि हो, ले सकते हैं।

5. बोलियों की वैधता :

5.1 बोलियां तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी।

6. धरोहर राशि/बोली प्रतिभूति

6.1 बोलीदाता को अनुसूची 4 में उल्लिखित राशि, ब्याजमुक्त धरोहर राशि जमा (ईएमडी) के रूप में ब्यूरो में जमा करनी होगी। धरोहर राशि **अनुसूची -7 के अनुबंध-1** में यथावर्णित फार्मेट के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर के रूप में अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी।

6.2 धरोहर राशि को जमा करने में असफल रहना अथवा इसका विलोप से बोली अयोग्य होगी और ब्यूरो किसी इस प्रकार की अयोग्य बोली (बोलियों) पर विचार नहीं करेगा।

6.3 बोली की वैधता अवधिके दौरान ब्यूरो की सहमति के बिना बोलीदाता अपनी बोली रद्द नहीं कर सकता अथवा इसकी शर्तों और निबंधनों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि बोलीदाता बोली को रद्द करता है अथवा इसकी शर्तों एवं निबंधनों में कोई परिवर्तन करता है तो उसकी धरोहर राशि ब्यूरो द्वारा अपने अधिकारों और प्रतिकार के पूर्वाग्रहों के बिना जब्त कर ली जाएगी और इसे हटाने की तारीख से लेकर अगले 24 माह के दौरान बोलीदाता को इलेक्ट्रिक सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव के लिए बोली लगाने अथवा संविदा के आधार पर बोली लगाने के लिए अयोग्य होगा।

6.4 यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति कार्यकारिता का भुगतान नहीं करता अथवा करारबॉण्ड पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि ब्यूरो द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

6.5 असफल बोलीदाता/दाताओं की धरोहर राशि सफलतम बोलीदाता ब्यूरो को अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद तथा संविदा को हस्ताक्षरित करने के बाद या बोलियों की वैधता अवधि की समाप्ति के तीस (30) दिनों के बाद, इसमें से जो भी पहले हो, लौटा दी जाएगी।

7. दरें कैसे उद्भूत की जाएगी

7.1 बोलीदाता से तकनीकी विशिष्टियों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें उद्भूत करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा माना जाएगा कि बोली देने से पूर्व, बोलीदाता ने अपनी बोलियों के संबंध में उनका यथातथ्यता तथा पर्याप्तता तथा संलग्न अनुसूचियों में उद्भूत दरों एवं मूल्य के बारे में संतुष्टि कर ली है तथा अन्यथा न दिया गया हो तो इन दरों और मूल्यों में संविदा के तहत आने वाली बाध्यता तथा संविदा के अंतर्गत आने वाली अपनी बाध्यताओं को उचित तरीके से पूरा करने वाले सभी विषय तथा बातें शामिल होंगी।

7.2 अनुसूची -5 की सारिणी क में निहित वित्तीय बोली किसी भी प्रकार के सेवाकार, एजुकेशन सेस एवं सेकंडरी तथा हायर एजुकेशन सेस या अन्य लागू सभी करों को छोड़ कर होगी। संविदाकार द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा लगाए गए कर बोली में उद्भूत दरों से

अतिरिक्त रूप से दिए जाएं।

7.3 उद्धित समेकित मासिक दरों में ब्यूरो का ईएसआई को अंशदान, पीएफ, ग्रेच्युअटी, बोनस, एवजी शामिल होंगे। इसमें वार्षिक रख-रखाव प्रभार, प्रशिक्षण एवं यूनीफार्म की लागत, कम्पनी का निरीक्षण इत्यादि भी शामिल होगा। बोलीदाता प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अलग से प्रति व्यक्ति कुल समेकित मासिक राशि (न्यूनतम मेहनताना, ईएसआईसी, ईपीएफ इत्यादि) उद्धित करें।

7.4 बोलीदाता **अनुसूची 5 की सारणी-ख** में मासिक समेकित राशि का विवरण (दरों का ब्यौरा) उद्धरित करें।

7.5 दरें एक वर्ष के लिए वैध होंगी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मेहनताने में संशोधन किए जाने पर ब्यूरो इसमें संशोधन करेगा। लेकिन न्यूनतम मेहनताने में संशोधन होने पर भी संविदा की पूरी अवधि में ठेकेदार का विशुद्ध रूप से लाभ (प्रतिशत रूप में नहीं) वही रहेगा जैसा कि उसने बोली में उद्धित किया था।

8. बोली जमा करने का तरीका

8.1 पूर्ण बोली **अनुसूची-4** में दर्शाये अनुसार प्राप्त की जाएगी उन्हें बोली-बॉक्स या डाक द्वारा जमा किया जाए और जो तय समय से पूर्व तय स्थान पर पहुंच जाए ।

8.2 ईमेल या फैक्स वाले प्रस्ताव रद्द कर दिये जाएंगे ।

9. बोली जमा करने की अंतिम तिथि

9.1 मुहरबंद बोलियां उपरोक्त निर्दिष्ट पते पर प्राप्त की जाएंगी यह निविदा सूचना में दिए गए समय और तारीख के बाद नहीं ली जाएंगी । प्राप्ति की विहित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी तथा बोलीदाताओं को बिना खोले ही लौटा दी जाएंगी ।

9.2 बोली प्रस्ताव जमा करने की विहित तिथि को अवकाश होने पर प्रस्ताव अगले कार्यालय दिवस को नियत समय तक प्राप्त किए जाएंगे।

10 प्रस्ताव में संशोधन एवं वापसी

10.1 बोलीदाता प्रस्ताव को जमा करने के पश्चात वापिस ले सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव जमा करने के लिये निर्दिष्ट समय और और बंद करने की तारीख से पहले प्रस्ताव वापिस लेने का लिखित नोटिस ब्यूरो को भेजा जाए।

11. बोली दस्तावेज़ की विषयवस्तु

11.1 बोलियां द्विबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) में आमंत्रित की जाती हैं।

पूर्ण बोलियां अनुसूची-4 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में हों जिस पर एनआईटीएस (बीआईएस) में इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव हेतु बोली अंकित हो ।

11.2 लिफाफे में निम्नलिखित हो:

(क) **लिफाफा सं. 1(तकनीकी बोली):** इसमें निम्नानुसार वाणिज्यिक शर्तें एवं निबंधनों सहित सभी तकनीकी विवरण समाविष्ट करें जैसे :

- i) संलग्न सभी दस्तावेजों की सूची ;
- ii) उपरोक्त खंड 6.1 में दर्शाये गए अनुसार धरोहर जमा राशि (EMD) ;
- iii) सीपीडब्लूडी/पीडब्लूडी (एनसीटीडी)/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सीसीयू की संयुक्त श्रेणी के तहत वर्ग-IV में अथवा उत्तर प्रदेश, पीडब्लूडी में समकक्ष में सूचीबद्ध होने के आदेश की सत्यापित प्रति ;
- iv) वैध ट्रेड लाइसेंस की सत्यापित प्रति ;
- v) दिल्ली/उत्तर प्रदेश में श्रमशक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक तैनात करने हेतु कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एवं एबॉलेशन) अधिनियम के तहत वैध लाइसेंस की प्रति ;
- vi) संबंधित प्राधिकारी को फाइल की गई पिछले तीन वर्ष की आयकर रिटर्न और सेवा कर रिटर्न की प्रतियां ;
- vii) मालिक/भागीदार/निदेशक के नाम, पत्राचार हेतु पता, टेलीफोन नम्बर, ईमेल इत्यादि के विवरण सहित फर्म/फर्मों के विवरण (अनुसूची 7 का अनुलग्नक 2) ;
- viii) फर्म के मामले में, प्रत्येक भागीदार या पावर ऑफ अटॉर्नी के धारक बोली पर हस्ताक्षर करें । पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यापित प्रतियों को बोली के साथ संलग्न करें । सभी भागीदारों द्वारा पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर किये जाएं । प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में, पावर ऑफ अटॉर्नी के सहायक प्रमाण में बोर्ड संकल्प एवं उपयुक्त तथा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराएं ;
- (ix) बोलीदाता द्वारा सभी पृष्ठों एवं संलग्न पर्चियों पर हस्ताक्षर किए जाएं तथा बोली दस्तावेजों के सेट में न तो कोई पेज जोड़ें और न हटायें । विधिवत् हस्ताक्षर किया गया बोली दस्तावेज उसकी स्वीकार्यता स्वरूप वापिस किया जाएगा ;
- (x) पिछले सात (07) वर्षों में सदृश प्रकृति के किए गए कार्यों/सेवाओं को दर्शाने वाला विवरण (अनुसूची 7 का अनुलग्नक-3) ;
- (xi) कालीसूची एवं/या मुकदमेबाजी संबंधी घोषणा (अनुसूची 7 का अनुलग्नक-4)

ख) लिफाफा सं० 2 (वित्तीय बोली) : इस लिफाफे में अनुसूची -5 के अनुसार विहित स्थानों पर रख-रखाव और श्रमशक्ति के लिए ली जाने वाली सेवाओं की श्रेणीवार दर मूल्य विधिवत भरे गए हों, बोली में विहित स्थानों पर बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर आद्याक्षर एवं हस्ताक्षर हों। खंड 7 में समाविष्ट निर्देशों को ध्यान में रखा जाए।

ग) कवरिंग लिफाफा : दोनों लिफाफे 1 एवं 2 को एक साथ एक कॉमन मुहाबंद लिफाफे में हों जिस पर एनआईटीएस (बीआईएस) में इलेक्ट्रिकल सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव हेतु बोली अंकित हो तथा इस पर अनुसूची-4 में दर्शाये गए अनुसार प्रमुख (एनआईटीएस) को संबोधित हो तथा बायीं ओर नीचे बोलीदाता का नाम और पता लिखा हो।

12. बोलीदाता द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाय:

क. वित्तीय बोली में उपयुक्त स्थानों पर शब्दों एवं अंकों, दोनों में लिखा जाए (अनुसूची-5)।

ख. यदि बोलीदाता 'लाभ अथवा सेवाकर 'कुछ नहीं'/विचाराधीन उद्धित करता है तो बोली अनुत्तरदायी मानी जाएगी और उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. निविदा दस्तावेज में दी गई प्रत्येक एवं हर एक शर्त को पूर्ण करते हुए बोली प्रस्तुत करे, ऐसा नहीं होने पर बोली को निरस्त किया जा सकता है। सशर्त बोलियाँ निरस्त कर दी जाएंगी। बोलीदाता की वित्तीय बोली कुछ नहीं/शून्य/अव्यवहारिक सेवा प्रभार वाली होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

13. बोली खोलना

13.1 निविदा दस्तावेज में विहित समय एवं तिथि से पूर्व प्राप्त बोलियों को अनुसूची-4 में यथा उल्लिखित निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार (यदि संभव हो) कार्यालय में तय समय पर उन बोलीदाताओं की या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो बोली खुलने के दिन उपस्थित होने के इच्छुक हों।

14. बोलीदाताओं की छँटाई

14.1 ब्यूरो तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की छँटाई करेगा तथा वित्तीय बोलियों के लिए तकनीकी बोलियों में योग्य पाए गए बोलीदाताओं की बोली ही सूचित किए जाने वाली तिथि एवं समय पर खोली जाएगी।

15. वित्तीय बोली खोलना

16.1 ब्यूरो निर्दिष्ट तिथि को लिफाफा न०2 खोलेगा तथा मूल्य तालिका (अनुसूची-5 में बोलीदाता द्वारा उद्धृत दरों को बोलीदाताओं के उन प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़ा जाएगा जो वित्तीय बोली के दौरान उपस्थित रहना चाहते हों। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन फर्म द्वारा जमा की गई कुल लागत के आधार पर किया जाएगा। वित्तीय बोली का मूल्यांकन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संभावित श्रमशक्ति की आवश्यकता और वार्षिक रख-रखाव प्रभार के आधार पर किया जाएगा और निम्नतम बोलीदाता का फैसला निम्नलिखित सूत्र के द्वारा किया जाएगा :

सूत्र :-

S : सुपरवाईजर हेतु उद्धित राशि (अनुसूची 5 की सारणी-क की क्रम सं. 1 के अनुसार) ×

संभावित आवश्यकता

E : इलेक्ट्रिशियन हेतु उद्धित राशि (अनुसूची 5 की सारणी-क की क्रम सं. 2 के अनुसार) × संभावित आवश्यकता

A: वार्षिक रख-रखाव प्रभार हेतु उद्धित राशि

कुल बोली राशि S+E+A

16 बोली की स्वीकार्यता:

16.1 बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। ब्यूरो न्यूनतम या किसी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना किसी कारण बताये, चाहे जो भी हो प्राप्त किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली की स्वीकार्यता की सूचना ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफलतम बोलीदाता को दी जाएगी।

17. प्रक्रिया गोपनीय रखी जाए

17.1 सफलतम बोलीदाता को संविदा देने की घोषणा होने तक बोली की जांच, मूल्यांकन और तुलनात्मकता तथा ठेका दिए जाने से संबंधित जानकारी बोलीदाता या ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से न जुड़ा हो।

18. संविदा दस्तावेज का निष्पादन

18.1 कार्यकारिता प्रतिभूति को जमा करने के बाद सफलतम बोलीदाता को डुप्लीकेट में एक करार करना होगा। यह करार बोली दस्तावेज के साथ संलग्न फॉर्म में उत्तर प्रदेश से क्रय किए गए ₹ 100/- के समुचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर होगा। बोली की स्वीकार्यता तिथि से 15 दिनों के भीतर करार पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। संविदा करार, संविदा की शर्तों (Coc) तथा संविदा की शर्तों में यथा विहित अन्य दस्तावेजों द्वारा शासित होगा।

18.2 करार हेतु निष्पादन की तिथि पर यथा लागू स्टाम्प-ड्यूटी, वैधानिक एवं संवैधानिक प्रभारों का भुगतान करना सफलतम बोलीदाता के लिए जरूरी होगा।

19. ब्यूरो के अधिकार

19.1 ब्यूरो के पास इस बोली में रखने के लिए कार्य को दो या दो से अधिक भागों में बांटने व कार्यक्षेत्र को उपयुक्त रूप से बढ़ाने/कम करने का अधिकार सुरक्षित है। भामाब्यूरो एक से अधिक एजेंसी को संविदा देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19.2 निविदा दस्तावेज या संविदा की शर्तों में खंडों की किसी प्रकार की व्याख्या में किसी प्रकार की अस्पष्टता होने पर ब्यूरो द्वारा खंडों की व्याख्या सभी पक्षों के लिए अनंतिम एवं बाध्य होगी।

20. संविदा के भाग बनाने की सूचना

20.1 निविदा सूचना एवं ये निर्देश संविदा के भाग बनेंगे।

अनुसूची-2

संविदा की शर्तें

1. परिभाषाएं:

- i. इन शर्तों में संदर्भित 'अनुलग्नक' से निविदा दस्तावेज एवं संविदा के साथ संलग्न संबंध अनुलग्नक से अभिप्राय है।
- ii. अनुमोदित पिछले मौखिक अनुमोदन की बाद की पुष्टि सहित लिखित में अनुमोदन से अभिप्राय है तथा 'अनुमोदन' से अभिप्राय है कि यथा उपरोक्त सहित लिखित में अनुमोदन हो।
- iii. 'बोली' से तात्पर्य है निर्दिष्ट स्थानों पर वार्षिक रख-रखाव सेवाओं तथा संविदा के प्रावधानों के अनुसार इसमें किसी प्रकार की खराबी को ठीक करने, स्वीकार्यता पत्र द्वारा यथा स्वीकृत संस्थापन और सेवाओं हेतु संविदाकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य।
- iv. 'ब्यूरो' से तात्पर्य है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो।
- v. 'आरंभ तिथि' से तात्पर्य है वह तिथि जब निर्दिष्ट स्थानों पर सेवाएं देना आरंभ करने का नोटिस संविदाकार को मिले।
- vi. 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है इस संविदा के तहत, ब्यूरो की ओर से कार्य करने हेतु ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।
- vii. 'संविदा' से तात्पर्य है एवं निविदा सूचना, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, संविदा की शर्तें एवं निबंधन, स्वीकार्यता पत्र, प्रस्ताव, करार एवं ब्यूरो द्वारा बोलीदाता के साथ प्राधिकृत आपसी पत्राचार में स्वीकृत आपसी शर्तें तथा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज जो संविदा का भाग हों।
- viii. 'संविदा राशि' से तात्पर्य है संविदाकार द्वारा उसकी बोली में उद्धृत की गई एवं ब्यूरो द्वारा स्वीकार की गई राशि।
- ix. 'संविदाकार' से तात्पर्य है व्यक्ति या फर्म या कम्पनी, चाहे निगमित हो या नहीं, संविदा उपक्रमित एवं ऐसे व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या ऐसी फर्म में शामिल व्यक्ति या अनिगमित कम्पनी या ऐसी फर्म के उत्तराधिकारी या कम्पनी, जो भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को सौंपी गई अनुमति।
- x. 'महानिदेशक' से तात्पर्य है ब्यूरो का महानिदेशक जो उस समय के लिए कार्यालय का नियंत्रक हो और उसका उत्तराधिकारी भी तथा वह अधिकारी जो उसके द्वारा प्राधिकृत हो।
- xi. 'सरकार' से अभिप्राय है केन्द्रीय सरकार।
- xii. 'स्वीकार्यता पत्र' से अभिप्राय है ब्यूरो द्वारा आधिकारिक स्वीकृति।

- xiii. 'सेवाओं' से अभिप्राय है संविदा में यथा वर्णित संविदाकार द्वारा ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवायें तथा निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट की गई अन्य सेवाएं शामिल ।
- xiv. 'विशिष्ट' से अभिप्राय है निविदा में संदर्भित विशिष्ट। कोई विशेष विशिष्ट न होने पर विद्यमान ब्यूरो की संबद्ध विशिष्ट लागू होगी।
- xv. 'निविदा' से तात्पर्य है संविदा आधार पर एनआईटी सी में इलेक्ट्रिक सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव के तय दरों पर प्रस्ताव देने के लिए संभावित बोलीदाताओं को ब्यूरो द्वारा औपचारिक आमंत्रण।
- xvi. 'पूर्णता समय' से अभिप्राय है शुरुआती तिथि से संगणित इलेक्ट्रिकल सेवाओं का वार्षिक रख-रखाव अथवा संविदा में यथा उल्लिखित उसके किसी भी भाग को पूरा करने का समय।
- xvii. 'एनआईटीएस' से तात्पर्य है राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो का प्रशिक्षण संस्थान।

2. संविदा हेतु पक्ष

- 2.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा जिसका प्रस्ताव ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है; एवं ब्यूरो।
- 2.2 प्रस्ताव फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति संविदा से संबद्ध सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों या फर्मों को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा। यदि यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकार न हो तो ब्यूरो अन्य किसी सिविल/आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाये रख सकता है तथा/या फर्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है।

3. कार्यकारिता प्रतिभूति

- 3.1 संविदा के देय कार्यकारिता को सुनिश्चित करने के लिए, संविदाकार को अनुसूची 4 में उल्लिखित अनुसार ब्याज-मुक्त कार्यकारिता प्रतिभूति अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जो कि 'भारतीय मानक ब्यूरो' के पक्ष में 'नोएडा' में देय या अनुसूची-7 के अनुलग्नक-1 में यथा वर्णित फॉर्मेट के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में हो।
- 3.2 कार्यकारिता प्रतिभूति सभी संविदा की पूर्णता की तिथि से साठ दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।
- 3.3 इस संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार से देय/वसूलनीय कोई राशि या किसी प्रकार का अन्य लेखा, कार्यकारिता प्रतिभूति जमा राशि से काटी जा सकती है। इस मामले में कार्यकारिता प्रतिभूति जमा राशि को ऐसी किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से 'मांग सूचना' की प्राप्ति से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा। यदि प्रतिभूति को संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है,

तो निर्धारित या अनिर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि उक्त गारंटी को शर्तों के तहत ब्यूरो को उक्त बैंकरोँ द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।

- 3.4** यदि इस संविदा की अवधि के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत, देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य, कार्यकारिता से चूकता है या जुर्माने के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चूकता है, तो ब्यूरो को इसके तहत उसके अन्य अधिकारों एवं एतदधीन उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के या लागू कानून पर, कार्यकारिता प्रतिभूति को रोकने, रखने और विनियोजन का अधिकार होगा।
- 3.5** ब्यूरो को संविदाकार से यदि कार्य कार्यकारिता प्रतिभूति की राशि से अधिक उक्त जैसे नुकसान, हानियों, लागत, प्रभार एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुकद्दें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वसूलने से रोका नहीं जाएगा।
- 3.6** दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति में ब्यूरो की पूर्ण संतुष्टि होने और विवाद का समाधान होने तक कार्यकारिता प्रतिभूति रोकी जाएगी। संविदा पूर्ण होने की तिथि अथवा समाप्ति की तिथि के साठ दिन के भीतर संविदाकार के ऊपर कोई बकाया दावा न होने पर कार्यकारिता प्रतिभूति लौटा दी जाएगी।

4. संविदा दस्तावेज

- 4.1** संविदा बनाने वाले विभिन्न संविदा दस्तावेजों को एक-दूसरे पक्ष को यथा आपसी वर्णित लिया जाएगा, लेकिन इसी में संदेह या कमी के मामले में वर्णित किया जाएगा तथा ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुमेलित किया जाए जो संविदाकार को आवश्यक निर्देश जारी करे तथा ऐसे मामलों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तो संविदा बनाने हेतु दस्तावेजों की प्राथमिकता निम्नानुसार है:
- i. करार
 - ii. पूर्व बोली बैठक, स्पष्टीकरणों के कार्यवृत्त
 - iii. संविदा की शर्तें
 - iv. निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेज
 - v. स्वीकार्यता पत्र
 - vi. संविदा के संबंध में पक्षों के बीच किए गए अन्य पत्राचार
 - vii. संविदाकार का प्रस्ताव

5. संविदा की वैधता

- 5.1** इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए संविदा वैध होगी। इस संविदा पर हस्ताक्षर करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए संविदा वैध होगी।

तथापि, संविदा की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और संविदाकार का कार्य संतोषजनक होने तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर इसे हर वर्ष बढ़ाया जाएगा।

6. कार्यक्षेत्र

6.1 इस संविदा के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं

i) विद्युत उपकरणों की निवारक नियमित (routine) और खराब होने पर रख-रखाव

विद्युत के सभी उपकरणों का निवारण, नेमिता और खराब होने पर उनका रख-रखाव करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी जिससे कि उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

ii) ट्रांसफार्मर का निवारक, नियमित (routine) और खराब होने पर रख-रखाव : दो सेट (400-केवीए, 11000/433V)

क. संविदाकार माह में एक बार कंसरवेटर में ट्रांसफार्मर में तेल के लेवल की जांच करेगा।

तेल का लेवल न्यूनतम लेवल से नीचे जाने पर संविदाकार को आईएस 535 के अनुसार उपयुक्त ग्रेड का नया परीक्षित इंसुलेटिंग तेल से भरना होगा। ट्रांसफार्मर में रिसाव पाए जाने पर संविदाकार को ट्रांसफार्मर में तेल के रिसाव को भी ठीक करना होगा।

ख. संविदाकार को ट्रांसफार्मर के ढीले कनेक्शनों अर्थात् एल. टी; कनेक्शन न्यूट्रल एवं बॉडी-अर्थिंग की माह में एक बार जांच करनी होगी तथा उसे कसना होगा।

ग. संविदाकार को तीन माह में एक बार बुशिंग में दरार और उसमें गंदगी जमा होने की जांच करनी होगी तथा आवश्यक होने पर उसे साफ करना अथवा बदलना होगा।

घ. संविदाकार को तेल साफ, डिहाइड्रेट करना होगा तथा आवश्यक होने पर सारे इंजिन ऑयल को नए परीक्षित एवं उपयुक्त ग्रेड (आईएस 335 के अनुसार) के ऑयल से बदलना होगा तथा जब और जैसा आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर के टैंक में से गाद को साफ करना होगा।

ड. संविदाकार को वर्ष में एक बार न्यूट्रल अर्थ और उपस्कर बॉडी अर्थ की जांच करनी होगी।

च. संविदाकार को वर्ष में एक बार निम्नलिखित की इंसुलेशन परीक्षण करना होगा तथा रिकार्ड रखना होगा :-

- 1000V मैगर से एल.टी और अर्थ के बीच
- 1000V मैगर से एच. टी और अर्थ के बीच
- 500V मैगर से एल.टी और एल.टी. विन्डिंग के बीच

छ. संविदाकार रंग के लिए सिलिका जेल की जांच करेगा और जब और जैसा आवश्यक होने पर उसमें सुधार करेगा।

झ. संविदाकार को माह में एक बार शोर/गिनगिनाने वाली आवाज़, तापमान के बढ़ने (अधिक गर्म होना) की तथा बिटुमाइन्स कम्पाउन्ड में चटक की जांच करनी होगी।

i) ट्रांसफार्मर को धूल-मिट्टी और कालिख से मुक्त रखने माह में एक बार ट्रांसफार्मर की सामान्य सफाई करनी होगी।

(iii) एच.टी. पैनल एवं एच.टी. लाईन का निवारक, नियमित (routine) और खराब होने पर रख-रखाव

संविदाकार को नीचे दी गई आवृत्तियों के अनुसार बंद करने के बाद इन पैनलों पर ध्यान देना तथा इनका रख-रखाव करना होगा :-

- क) बस बार को निष्क्रिय करने के बाद सॉलिड अर्थिंग की जानी चाहिए। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि केवल लाइसेंसशुदा और पंजीकृत तकनीकशियन/निरीक्षक ही एच.टी. पैनल को देखें।
- ख) संविदाकार को छः माह में एक बार एच.टी., वीसीबी (एच.टी.वी.सी.बी 11KV, 623 एम्पीयर) अंदर और बाहर से सामान्य सफाई करनी होगी। संविदाकार को छः माह में एक बार पॉवर ऑक्सलरी कॉन्टेक् की जांच करनी होगी, छोटी फिटिंग्स और सर्किट ब्रेकर ऑयल की एमरी कपड़े से सफाई करनी होगी।
- ग) संविदाकार को छः माह में एक बार वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) के चल/स्लाईडिंग तंत्र ग्रीसिंग/ऑयलिंग करनी होगी।
- घ) संविदाकार को छः माह में एक बार टर्मिनल के नट/बोल्ट/स्कू को कसना होगा।
- ङ) संविदाकार को छः माह में एक बार वीसीबी के बंद होन और ट्रिपिंग तंत्र की जांच करनी होगी और रिले का परीक्षण करना होगा।
- च) संविदाकार को वर्ष में एक बार बस-सेक्शन अर्थात फेज से फेज और फेज से अर्थ के इंसुलेशन का मूल्यांकन करना होगा।
- छ) संविदाकार को वर्ष में एक बार भीतर आने वाली और एच.टी. वीसीबी कंज्यूमर से बाहरी जाने वाली एच.टी. केबल की इंसुलेशन प्रतिरोधिता का आकलन करना होगा और इस जांच में ट्रांसफार्मर एच.टी. वाइंडिंग शामिल होगा। संविदाकार को वर्ष में एक बार वीसीबी टैंक में के भीतर इंसुलेशन ऑयल ओर एच.टी. वीसीबी टैंक के ऑयल लेवल की जांच करनी होगी तथा माह में एक बार सभी गैसकट की स्थिति की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें कोई रिसाव न हो।
- ज) संविदाकार को वर्ष में एक बार आवश्यक होने पर क्षतिग्रस्त और खराब पुर्जों को सक्षम प्राधिकारी को सूचित करके और उसकी स्वीकृति से बदलना होगा।
- झ) संविदाकार को वर्ष में एक बार सुरक्षा के लिए एच टी पैनल में रिले की जांच, सफाई और अंशशोधन करना होगा।
- ञ) संविदाकार को माह में एक बार बिटुमन कम्पाउंड में ओवर हीटिंग, दरार की जांच करनी होगी।

- ट) संविदाकार को माह में एक बार बैटरी सैल के द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व (gravity) की जांच करनी होगी और उसमें आसुत जल डाल कर न्यूनतम स्तर को बनाए रखते हुए बैटरी सैल परीक्षक से बैटरी सैल की एम्पीयर क्षमता की जांच करनी होगी (ऐसा करना रख-रखाव रहित बैटरी के लिए लागू नहीं है)।
- ठ) संविदाकार को तीन माह में एक बार बैटरी चार्जर की जांच करेगा।
- क) **iv) एल.टी. पैनल एवं एल.टी. लाईन का निवारक, नियमित (routine) और खराब होने पर रख-रखाव**
- ख) संविदाकार को माह में एक बार धूल एवं गाद निकालने के लिए एल टी पैनल की अंदर और बाहर से सामान्य सफाई करनी होगी।
- ग) संविदाकार को माह में एक गियर के साथ बस-बार की, सूचक लैम्प की नियंत्रण वायरिंग की, वोल्टमीटर के साथ सलेक्टर स्विचों की, सलेक्टर स्विचों के साथ एममीटर की और बाहर जाने वाल व आने वाली तारों के साथ कनेक्शन के कसाव की जांच करनी होगी।
- घ) संविदाकार को छः माह में एक बार एसीबी के मेन संपर्क का विजुअल निरीक्षण करना होगा। एमरी कपडे और कार्बन टेट्राक्लोराइड/कॉन्टेक्ट क्लीनिंग द्रव्य से एसीबी के मामूली गड्डो की सफाई करनी होगी। बड़े गड्डों अथवा क्षतिग्रस्त कॉन्टेक्ट को बदलना होगा।
- ङ) संविदाकार को छः माह में एक बार सही प्रचालन के लिए कॉस्टल लॉकिंग प्रणाली की जांच करनी होगी।
- च) संविदाकार को छः माह में एक बार सुरक्षा के लिए रिले की जांच और सफाई करनी होगी।
- छ) संविदाकार को आवश्यक होने पर क्षतिग्रस्त/जले हुए हिस्सों को बदलना होगा।
- ज) संविदाकार को छः (6) माह में एक बार एसीबी/एमसीसीबी के चल या स्लाइडिंग हिंस्सों की ग्रीसिंग/ऑयलिंग करनी होगी।
- झ) संविदाकार को वर्ष में एक बार एसीबी/एमसीसीबी की ट्रिपिंग प्रणाली की जांच करनी होगी।
- ञ) संविदाकार को वर्ष में एक बार रिले का परीक्षण तथा अंशशोधन (calibration) करना होगा।
- ट) संविदाकार को वर्ष में एक बार एल टी पैनल के लिए 1000V मीगर से फेज़ से फेज़ और फेज़ से अर्थ का इंसुलेशन परीक्षण करना होगा। उपरोक्त का प्रमाणपत्र देने की जिम्मेदारी संविदाकार की होगी।

v) एयर कंडीशनर (एसी डक्ट संयंत्र सहित) और गीजर, हीट कनवेक्टरों इत्यादि जैसा अन्य उपकरणों का निवारक, नियमित (routine) और खराब होने पर रख-रखाव

संविदाकार को एनआईटीएस में विभिन्न स्थानों पर लगे एयर कंडीशनरों का रख-रखाव करना होगा और नियमित रख-रखाव के लिए निम्नलिखित करना होगा :

क) संविदाकार को एनआईटीएस में विभिन्न स्थानों पर लगे एयर कंडीशनरों को चलाना और उनका रख-रखाव करना होगा।

ख) संविदाकार को माह में एक बार एयर कंडीशनरों की सामान्य सफाई करनी होगी और छः माह में एक बार सर्विसिंग करनी होगी। कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त होने/जला होने/बदलने की आवश्यकता होने पर उसे एनआईटीएस के परामर्श से आवश्यकतानुसार बदलना होगा।

ग) एयर कंडीशनर के कंप्रेसर और कंप्रेसर गैस के रिसाव, पंखों की मोटर, स्टेबलाइजर, और प्लग, सॉकेट की जाँच 6 माह में करनी होगी। गैस रिसाव या भराई के मामले में एनआईटीएस के परामर्श से अपेक्षित कार्रवाई करनी होगी और विद्यमान बाजार दर पर लागत का भुगतान किया जाएगा।

घ) संविदाकार को सभागार तथा सम्मेलन कक्ष के लिए संस्थापित एयर कंडीशनर प्लांट का रख-रखाव एवं प्रचालन करना होगा। संविदाकार को एनआईटीएस के परामर्श से एयर कंडीशनर प्लांट की मरम्मत करनी होगी और इसके खराब पुर्जों को बदलना होगा। एयर कंडीशनिंग प्लांट को 03 माह में कम से कम आधे घंटे के लिए लगातार चलाना (ट्रायल रन के रूप में) होगा।

इ) संविदाकार द्वारा गीजर/हीट कनवेक्टरों की नेमी रख-रखाव की देख-भाल की जाएगी।

vi) अर्थ इलैक्ट्रोड और अर्थिंग प्रणाली में निवारक, नियमित तथा अचानक अवरोध होने पर रख-रखाव

क) संविदाकार को साल में एक बार संयोजित अर्थ इलैक्ट्रोड (उपस्कर तथा न्यूट्रल की अलग-अलग से) की अर्थ प्रतिरोधकता की जाँच करनी होगी।

ख) संविदाकार को साल में एक बार सभी उपस्करों की अर्थ लिडों के सभी जोड़ों को कसने के बाद इनके सातत्य के लिए जाँच करनी होगी।

ग) अगर अर्थिंग प्रतिरोधकता 1ohm से अधिक हो तो संविदाकार को अर्थिंग प्रतिरोधकता को घटाने के लिए समानांतर में नए अर्थिंग इलेक्ट्रोड संस्थापित करने चाहिए। संविदाकार को इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

घ) संविदाकार को वर्ष में एक बार सभी परीक्षण मशीन/उपस्कर, 3-फेज, 415V या एनआईटीएस के हर अनुभाग की अर्थिंग सातत्यता की जांच करनी होगी।

vii) पावर डी.बी/लाइट्स डी.बी/फ्यूज डी.बी सहित सभी वितरण बोर्डों का निवारक रख-रखाव, नियमित तथा व्यवधान रख-रखाव

क) संविदाकार को वितरण बोर्डों के अंदर और बाहर से धूल और काजल हटाने के लिए माह में एक बार सामान्य सफाई करनी होगी।

ख) संविदाकार को माह में एक बार वितरण बोर्डों के अंदर के जोड़ों की कसावट जांचनी होगी।

ग) संविदाकार को आवश्यकतानुसार वितरण बोर्डों के क्षतिग्रस्त/जले हुए (यदि कोई हो तो) संघटकों को प्रतिस्थापित करना होगा।

VIII) सभी फिटिंग जिसमें लाइट्स, पंखे, रेगुलेटर, स्विच, प्लग, फ्यूज, कॉलिंग बेल प्लग्स और सॉकेट/मोटर पंप शामिल हैं और एनआईटीएस के परिसर में दूसरी इलेक्ट्रिक फिटिंग का निवारक, नियमित तथा व्यवधान रख-रखाव

क) संविदाकार को सभी ट्यूबलाइटों, फिटिंगों, स्ट्रीट लाइट, लैंप शेड्स, सीलिंग फैन्स (अंदर के कोइल, वायरिंग, बुश), फैन रेगुलेटर, कॉलिंग बेल प्लग्स, फ्यूजरस आदि का नेमी रख-रखाव/मरम्मत करानी होगी।

ख) संविदाकार को प्रशासनिक कार्यालय की ईमारत के प्रवेश द्वार के सामने लगे फव्वारे के चार पंप सेटों का प्रचालन एवं उनका रखरखाव करना होगा।

ग) संविदाकार को जल उठाने वाले 6 पंप सेटों (कार्यालय भवन एवं होस्टल भवन में जल की आपूर्ति हेतु 2 पम्प सेट और एक सबमर्सिबल + अग्निशमन प्रचालन के लिए 03 पम्प सेटों, जिनमें से एक डीजल से प्रचालित होता है) का प्रचालन एवं नेमी रख-रखाव करना होगा।

IX) इनकी पेनल सहित डीजल जनित्र सेट (प्रचालन एवं नियमित रख-रखाव)

क) ग्रीवज मेक इंजिन एवं किरलॉस्कर एण्ड ज्योति लिमिटेड अलट्रनेटर के साथ युग्मित 180 और 160 KVA के डीजल जेनसेट का नेमी रख-रखाव और आवश्यकता के अनुसार प्रचालन करना।

ख) समय-समय पर माह में एक बार डीजल जेन सेटों की जांच करनी होगी। हरेक सेट की 6 माह में या 250 घंटे मीटर रीडिंग होने पर ग्रीवज कॉटन लिमिटेड के प्राधिकृत सेवादाताओं के द्वारा एक बार मरम्मत बीआईएस की लागत पर करवानी होगी तथापि संविदाकार को सेवादाता का पूरा सहयोग करना होगा।

ग) बैटरी वोल्ट, एम्पीयर और बैटरी जल सहित डीजी सेट पेनल बैटरी चार्जर की जांच तथा इनका प्रचालन हर माह करना होगा।

घ) संविदाकार को अलट्रनेटर, डाइनमो, सोलेनॉयड कंट्रोल पेनल, स्टार्टर, सम्प में से तेल के रिसाव, ल्यूब्रीकेंट, ऑयल कूलर आदि की जांच और रखरखाव करना होगा।

इ) संविदाकार को रेडियटर, इंटर-कूलर, वाटर पंप, टर्बो चार्जर की सफाई तथा मरम्मत करनी होगी, और ईंधन प्रक्षेपण प्रणाली का अंशांकन या परीक्षण एवं मरम्मत करनी होगी।

च) जब कभी आवश्यक डीजल जेन सेटों के क्षतिग्रस्त/जले हुए (यदि कोई हो) संघटकों का प्रतिस्थापन करना होगा।

छ) समय-समय पर सभी मीटरों, इंडिकेटिंग लैंपों, बैटरियों, कंट्रोलों, डीजल सेट ईंजन ऑयल लेवल, ल्यूब्रीकेंट प्रणाली, वायु दाब, वायु फिल्टर प्रणाली, रेडियटर, आदि की उनके सही कार्य करने की जांच करनी होगी।

ज) संविदाकार को समय समय पर डीजी सेट के प्रचालन हेतु डीजल की पर्याप्तता की जांच करनी होगी।

X) विद्युत आपूर्ति के रख-रखाव/व्यवधान से संबद्ध बातों के लिए संविदाकार को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ समन्वय करना होगा और ऐसे मामलों को बीआईएस के ध्यान में लाना होगा।

इलैक्ट्रिक सेवाओं के रख-रखाव हेतु ब्यूरो संविदाकार को आवश्यक सामग्री (रख-रखाव एवं परीक्षण उपस्करों के अलावा) उपलब्ध कराएगा।

क) जनशक्ति की न्यूनतम आवश्यकता नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	श्रेणी कुशल	जनशक्ति की संभावित आवश्यकता	न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव
1.	इलैक्ट्रिशियन	03	कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलैक्ट्रिशियन ट्रेड में प्रमाण पत्र
2.	पर्यवेक्षक (आठ घंटों की सामान्य शिफ्ट)	01	3 वर्ष के अनुभव के साथ डिप्लोमा इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल)

6.2 जनशक्ति की ऊपर-उल्लिखित आवश्यकता संविदा अवधि के दौरान बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

6.3 संविदाकार यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न सेवाओं के लिए केवल ऐसे होशियार, अनुभवी तथा विशिष्ट योग्यताओं वाले कार्मिकों को ही ब्यूरो की परिसर में काम पर लगाया जाए जो ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हो अन्यथा संविदाकार को तुरंत उनके स्थान पर किसी दूसरे कार्मिक को काम पर लगाना होगा।

7. संविदाकार की बाध्यता(एँ)(सामान्य) :

7.1 संविदाकार ब्यूरो की परिसर में श्रमशक्ति सेवाएँ खंड 6 के अनुसार रख-रखाव सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी, जिन्हें अनुबंध की अवधि के दौरान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और यह अनुबंध का एक अभिन्न भाग होगा। संविदाकार ब्यूरो द्वारा समय-समय पर सुपूँर्ण के गए कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

7.2 अवांछनीय कार्मिक को सकारण हटाने का अधिकार ब्यूरो को होगा जबकि आपात्कालीन परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कार्मिक को ब्यूरो की अनुमति के बिना हटाने का अधिकार संविदाकार को नहीं होगा।

7.3 वार्षिक रख-रखाव सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संविदाकार को पर्याप्त पर्यवेक्षण करना होगा। संविदाकार को मापन पुस्तिकाओं का रख-रखाव करना होगा, जो समय समय पर ब्यूरो को उपलब्ध कराई जाएंगी।

7.4 दोनों पक्षों के बीच अपेक्षाओं संबंधी सहमति के अनुसार सेवाओं के सही निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध कराना होगा।

7.5 सभी अपेक्षित रिपोर्टें एवं अन्य सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध करानी होगी और ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी होंगी।

7.6 जब कभी संविदाकार द्वारा रख-रखाव के रिकार्ड रखे जाते हैं, उनकी किसी भी समय सूचित करके या बिना सूचित किए जाँच की जा सकती है।

7.7 यदि संविदाकार निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं (ईएसआईसी/ईपीएफ) को पूरा नहीं कर पाता है तथा संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो इसे संविदा भंग करना समझा जाएगा और उसकी निष्पादन प्रतिभूति ब्यूरो द्वारा जब्त करने के साथ-साथ संविदाकार को काली सूची में डाला दिया जाएगा।

7.8 संविदा की किसी भी शर्त को तोड़ने एवं सभी प्रकार की हानियों के लिए, जिसमें अपेक्षित रख-रखाव सेवाएँ उपलब्ध कराने में विफल रहने की स्थिति में अतिरिक्त लागत शामिल हैं, ऐसी स्थिति में ब्यूरो विक्रेता के बिलों में से अथवा निष्पादन प्रतिभूति में से दुगुनी राशि की कटौती यथानुपात आधार पर करेगा अथवा ब्यूरो उसे 7 दिन के भीतर ब्यूरो के खाते में जमा करवाने के लिए कहेगा।

7.9 यदि ब्यूरो आवश्यक समझेगा तो ब्यूरो को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार के कर्मचारियों के आने तथा जाने के समय का निरीक्षण करेगा साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कार्य संबंधी निर्देश भी देगा। संविदाकार के कार्मिकों को ब्यूरो के सभी समुचित अनुदेशों को मानना होगा।

7.10 पर्यवेक्षक, जिसे एनआईटीएस (बीआईएस) की इलैक्ट्रिक रख-रखाव सेवाओं के संचालन का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव हो, वही इन सेवाओं के प्रचालन का प्रभारी होगा। कार्मिक पर्यवेक्षण सशक्त होना चाहिए और उसमें संप्रेषण निपुणता, पहल करना, उत्साही और विश्वसनीय होना चाहिए। पर्यवेक्षक को सामान्य कार्य समय के बाद भी संविदाकार के खर्च पर अपनी ड्यूटी का पालन करना होगा।

7.11 संविदाकार द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण जनशक्ति आज्ञाकारी, उत्सुक, सतर्क, इच्छुक और हँसमुख हो। कार्य के अच्छे स्तर की गारंटी और संबंधित कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु पर्यवेक्षक द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए।

7.12 जब तक ब्यूरो द्वारा लिखित सहमति न दी जाए तब तक संविदा या इसके किसी हिस्से, भाग या इसके किसी सरोकार को संविदाकार द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है।

7.13 ब्यूरो के पास यह शक्ति है कि वह विशिष्टियों और सेवा अनुसूची में किए गए वर्णन के अनुसार कार्य में समुचित बदलाव कर सकता है और किसी भी बदलाव से यह करार रद्द नहीं होगा।

7.14 इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित की गई सभी सेवाओं के लिए भुगतान से पहले ब्यूरो द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि ब्यूरो की राय में कोई सेवा संविदा की अपेक्षाओं के अनुरूप

निष्पादित नहीं पाई जाती है तो ब्यूरो भुगतान को रोक सकता है। सेवाओं के लिए ब्यूरो द्वारा बकाया का भुगतान माहवार होगा, किंतु ऐसा तब ही होगा जब सेवाओं के निष्पादन से ब्यूरो संतुष्ट हो।

7.15 कार्य निष्पादन या कार्य करने के दौरान किसी को व्यक्तिगत चोट या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किसी भी विधान या सामान्य कानून के कारण होने वाली हानि, दायित्व, दावे या कार्रवाई के लिए संविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा और ब्यूरो को क्षतिपूर्ति करेगा भले ही इसमें उसकी लापरवाही हो या न हो। ऐसे जोखिम के लिए वह उपयुक्त बीमा कवर करेगा तथा बीमा पॉलिसी की प्रति ब्यूरो को देगा।

7.16 ब्यूरो के पास संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जनशक्ति की संबंधी श्रेणी की आवश्यक शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताओं के सत्यापन का अधिकार है और यदि वे ब्यूरो की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें यथोचित बदलाव के लिए अस्वीकार करने का अधिकार भी है।

7.17 विद्युत सेवाओं और विद्युत उपकरणों के रख-रखाव के लिए संविदाकार के पास पर्याप्त उपकरण होने चाहिए।

प्रदत्त स्टाफ के संबंध में बाध्यता

7.18 संविदाकार को इसके नीचे दी गई अपनी सेवाओं के निष्पादन हेतु अपने एक समान वर्दी धारी एवं प्रशिक्षित कार्मिकों के माध्यम से जनशक्ति सेवाएँ उपलब्ध करानी होंगी। और इनके लिए किसी भी प्रकार से ब्यूरो उत्तरदायी नहीं होगा और सभी सांविधिक दायित्वों (जैसे ईएसआई और ईपीएफ आदि) का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा।

7.19 संविदाकार को काम पर लगाए गए कार्मिकों के संबंध में समय समय पर संबद्ध प्राधिकारियों के पास ईपीएफ एवं ईएसआई के रूप में जमा की गई राशि के संपूर्ण विवरण ब्यूरो में प्रस्तुत करने होंगे।

7.20 एनआइटीएस (बीआइएस) में तैनात कार्मिकों की मजदूरी/वेतन सीधे उस व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में जमा करने होंगे। इसका प्रमाण संविदाकार को ब्यूरो में जमा करना होगा।

7.21 संविदाकार को अपने कार्मिकों को दिए जाने वाले बोनस, छुट्टी, राहत आदि जैसे सांविधिक हितलाभों के भुगतान का विवरण समय समय पर ब्यूरो में पेश करना होगा।

7.22 संविदाकार अपने कार्मिकों को इयूटी निभाने के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना एवं सेवा के दौरान मृत्यु के लिए बीमा कवर करना होगा और इस संबंध में ब्यूरो का किसी तरह का कोई

उत्तरदायित्व तथा बाध्यता नहीं होगी।

7.23 संविदाकार को पुलिस प्राधिकारी से सत्यापन के बाद पूर्वपद निर्धारित करने के बाद अपने सभी कार्मिकों को पहचान-पत्र/पहचान दस्तावेज जारी करने होंगे और कार्मिकों को इसे दिखाने का निर्देश संविदाकार को देना होगा। ब्यूरो को तैनात कार्मिकों की कार्यकारिता का निरीक्षण करने का और उनकी कार्यकारिता संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें बदलने के आदेश देने का अधिकार होगा।

7.24 संविदाकार के कार्मिक, ब्यूरो के कार्मिक नहीं होंगे और वह वेतन या भत्ते, क्षतिपूर्ति, नुकसान अथवा इस संविदा के अंतर्गत उनकी नियुक्ति/इयूटी के कारण कोई दावा नहीं करेंगे। संविदाकार को इस करार के अंतर्गत उनकी नियुक्ति से पहले इस स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराना होगा।

7.25 संविदाकार को अपने कार्मिकों को सभी वैधानिक अथवा अन्य लाभ भी देने होंगे तथा ब्यूरो की इसके लिए कोई देयता नहीं होगी। संविदाकार को श्रम कानूनों, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, ईपीएफ कानून, ईएसआईसी कानून, आयकर कानून एवं न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदाकार लेबर (विनियम उन्मूलन अधिनियम) अथवा लागू किसी अन्य कानून का भी पालन करना होगा।

7.26 संविदाकार को अपनी लागत से अपने कार्मिकों को गर्मियों और सर्दियों की यूनीफार्म के कम से कम दो सेट उपलब्ध कराने होंगे।

7.27 संविदाकार को वेज शीट की प्रति देनी होगी जिसमें कार्मिकों को दिए जा रहे मासिक वेजिस दर्शाए गए हों।

7.28 संविदाकार 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। इस प्रयोजन के लिए काम में लगाई गई श्रमशक्ति पूर्व-प्रशिक्षित तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभवी हो।

8. भुगतान की शर्तें

8.1 ब्यूरो को दी गई सेवाओं के लिए भुगतान बिल प्राप्त होने और सेवाओं के संतोषजनक होने के बाद ब्यूरो द्वारा सीधे संविदाकार को किया जाएगा। उद्धरित दरें सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए सेवा कर अथवा अन्य किसी लागू करों को छोड़कर हों तथा यह लागू न्यूनतम मेहनताने के अतिरिक्त प्रभारित की जाएंगी। ब्यूरो अनुपस्थिति की अवधि, यदि कोई हो, के लिए संविदाकार द्वारा प्रदत्त व्यक्ति/कार्मिक का मेहनताना संविदाकार को नहीं देगा।

8.2 इस संविदा के अंतर्गत सेवाओं के लिए संविदाकार को बिल डुप्लीकेट में तथा महीना समाप्त होने पर तैयार करना होगा। इस संविदा के लिए बिलों का भुगतान और अन्य दावे सीधे

संविदाकार के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। बिल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् उस समय लागू दरों पर उपकर/अधिभार के साथ प्रत्येक बिल की कुल राशि में से स्रोत पर कर (टीडीएस) काटा जाएगा।

8.3 ब्यूरो को ऐसी किसी राशि को रखने या छोड़ने का अधिकार होगा जो किसी दावे के अंतर्गत समय-समय पर संविदाकार द्वारा ब्यूरो की इस या अन्य किसी संविदा/करार के तहत देय हो

8.4 काम के लिए ली गई श्रमशक्ति के लिए किया जाने वाला भुगतान उपरोक्त पैरा 8.1 में किए गस संबद्ध परिवर्तनों के अनुसार निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जाएगा। इस सूत्र में साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टियों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों को ध्यान में रखा गया है।

सूत्र : व्यक्ति को देय मेहनताना =

[यथा उपरोक्त कुल मासिक मेहनताना/माह में कुल दिनों की संख्या] × माह में व्यक्ति द्वारा कार्यदिवसों की संख्या

9. दंड/जुर्माना लगाना

9.1 संविदाकार को तैनात श्रमशक्ति को डीए सहित, यदि हो, मेहनताना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देना होगा और ऐसा न किए जाने पर माह की 15 तारीख तक प्रति दिन ₹.500/- का जुर्माना लगाया जाएगा और संविदा को समाप्त किया जा सकता है। कार्यकारिता प्रतिभूति जब्त की जा सकती है बैंक गारंटी भुनाई जा सकती है।

9.2 संविदाकार का काम असंतोषजनक पाए जाने पर बीआईएस को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जुर्माना लगाने का अधिकार होगा जिसके लिए ब्यूरो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करने की सूचना संविदाकार को देगा। यह कार्यवाही न किए जाने पर जुर्माने की राशि उस माह के मासिक बिल में से काट ली जाएगी।

क्रम सं.	असंतोषजनक कार्य के पक्ष	जुर्माना
1)	दिए गए कार्य का असंतोषजनक निष्पादन	₹.1500/- प्रति दिन
2)	श्रमिकों की देर से हाजिरी या जल्दी जाना या अनाधिकृत अनुपस्थिति	₹.1000/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति
3)	श्रमिकों का दुर्व्यवहार और उपद्रवी गतिविधियां	₹.1000/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति
4)	अनुपस्थित कार्मिक के लिए संविदाकार द्वारा वैकल्पी न दिया जाना	₹.1000/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति

10. क्षतिपूर्ति

10.1 संविदाकार इस संविदा से अथवा इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को चोट लगने या संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सभी क्षति और दावों तथा इससे संबंधित या इसके संदर्भ में सभी दावों, मांगों, प्रक्रियाओं, नुकसान, लागत, शुल्क और खर्च की समय-समय पर लागू विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत ब्यूरो को क्षतिपूर्ति करेगा तथा करता रहेगा।

10.2 संविदाकार किसी प्रकार के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और श्रम मुद्दे इत्यादि अथवा ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघनों के परिणामस्वरूप ब्यूरो के सभी दावों, क्षतियों, लागत नुकसानों, खर्चों, कार्यवाही मुकदमों तथा कार्यवाहियों की क्षतिपूर्ति, सुरक्षा एवं रक्षा करेगा।

11. संविदा का निलंबन

11.1 ब्यूरो को संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या कदाचार के कारण इस संविदा के किसी नियम या शर्तों के उल्लंघन के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देकर किसी भी समय इस संविदा को अस्थायी तौर पर रद्द करने की स्वतंत्रता होगी जिसके लिए ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार को इसमें किसी बदलाव या उसके कारण क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा।

11.2 संविदाकार की ओर से चूक होने की स्थिति में जिसे परिणामतः संविदा के तहत व अपनी सेवाओं, देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इसे एक गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा ।

क) ब्यूरो की राय में संविदाकार ने संविदा को छोड़ दिया है ।

ख) संविदा के अनुसार सेवा की आपूर्ति आरंभ करने के बिना किसी उपयुक्त सफाई देने में असफल रहता है अथवा पूर्ण करने के लिए दिए गए अनुबंधित समय के अंदर सेवा प्रदान करने में असफल रहता है ।

ग) संविदा के अंतर्गत अपनी किसी बाध्यता का अनुपालन करने में ब्यूरो की पहले दी गई लिखित चेतावनी अथवा अन्यथा निरंतर अथवा सुस्पष्ट रूप से बताने के बाद भी लापरवाही बरतता है ।

घ) आर ओ वाटर सेवाओं को अनुसूचित तिथि से 30 दिनों की अवधि से परे देने में विलंब होता है।

ड) यदि संविदाकार सेवा की आपूर्ति को नियंत्रण करने वाले किसी कानून अथवा संविधि का उल्लंघन करता है ।

च) ब्यूरो के निर्णय के अनुसार संविदाकार संविदा के अंतर्गत सेवा पूरी करने व सेवा देने में भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण रीति में संलिप्त पाया जाता है ।

छ) यदि संविदाकार स्वेच्छा से अथवा बिना इच्छा के दिवालिया अथवा अपाकृत हो गया हो ।

ज) संविदाकार शोधाक्षम (इनसोल्वेंट) हो गया हो ।

झ) इसकी परिसम्पत्तियों के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए किसी पाप्तकर्ता, प्रशासक, नियासी अथवा लिक्विडेटर को नियुक्त किया गया हो ।

ज) संविदाकार अथवा इसकी परिसम्पत्तियों के संदर्भ में कोई ऐसा कार्य होता है अथवा घटना घटती है जिसका इन परिसम्पत्तियों पर किसी पूर्वलिखित कार्य अथवा घटना के कारण किसी लागू कानून के अंतर्गत उल्लेखनीय रूप से असर हो ।

ट) ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना संविदाकार (कंसोर्टियम के मामले में) ने कंसोर्टियम के गठन अथवा प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी को संशोधित किया हो ।

12. ब्यूरो द्वारा समापन

12.1 बिना कारण बताये तथा हानी या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना ब्यूरो के लिए भी वैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है । ऐसे समापन के लिए ब्यूरो द्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा । संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा ।

13. संविदाकार का समापन का अधिकार

13.1 यदि संविदाकार संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले संविदा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लेता है तो उसे कम से कम 60 दिन अग्रिम में सूचित करना होगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा ।

14. अप्रत्याशित घटना खंड

इस संविदा की के दौरान किसी पक्ष द्वारा इस संविदा के अंतर्गत किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी युद्ध, विरोधपूर्वक, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, महामारी, असैन्य विद्रोह, तोड़-फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, कोरांटेन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटना (जिसे बाद में यहाँ ऐसे कृत्य का गया है) के कारण न किया जाए अथवा उसमें विलंब हो तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष को ऐसी घटना घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर ऐसी घटना घटने का नोटिस देना होगा और ऐसी घटना घटित होने के कारण किसी भी पक्ष को न तो संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष कार्य न होने अथवा उसमें विलंब के कारण दूसरे पक्ष से नुकसान का दावा करेगा। ऐसी स्थिति समाप्त होने अथवा पहले जैसी होने पर यथा शीघ्र डिलीवरी आरंभ करनी होगी, और डिलवरी प्रारंभ कर दी गई है अथवा नहीं इस संबंध में ब्यूरो के महानिदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। यदि ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिनों से अधिक समय तक इस संविदा के अंतर्गत कोई कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं होता है या उसमें विलंब होता है तो कोई भी पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है और यह भी कि ब्यूरो को महानिदेशक द्वारा निर्धारित मूल्य, जो कि अंतिम होगा, पर संविदाकार से सभी अप्रयुक्त सामग्री, अक्षतिग्रस्त और स्वीकृत सामग्री, खरीदे गए घटक और इस प्रकार के संविदा या उसके भाग की

समाप्ति के समय उत्पादन के दौरान संविदाकार के पास पड़े सामान को लेने की स्वतंत्रता होगी जिसे ब्यूरो सही समझता हो। इसमें वह खरीदे गए घटक और सामान नहीं होगा जो कि संविदाकार ब्यूरो की सहमति से रखना चाहता हो।

15. भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

15.1 ब्यूरो को अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदाता ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानक प्राप्त करेगा तदुपरांत, ब्यूरो निर्धारित शर्तें निम्नानुसार परिभाषित करता है :

- क) “**भ्रष्ट रीति**” से अभिप्राय है भाड़े की प्रक्रिया में या संविदा निष्पादन में सार्वजनिक कर्मचारी के कार्य को प्रभावित करने के लिए किसी मूल्यवान वस्तु का देना, प्राप्त या प्रलोभन देना एवं ;
- ख) “**कपटपूर्ण रीतियों**” से अभिप्राय है की ब्यूरो को हानि पहुंचाने के लिए भाड़े की प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा क्रात्रिम तोर पर आपरिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदातों (बोली जमा करने से पूर्व या बाद में) के बीच कपटपूर्ण रीतियाँ शामिल हैं तथा ब्यूरो को मुक्त एवं खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करना शामिल है ।

15.2 यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार संविदा दिए जाने से पूर्व, उसके दौरान या उसके बाद भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ब्यूरो दिए जाने वाले कार्य के प्रस्ताव को रद्द कर सकता है ; यदि ब्यूरो को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु बोलीदाता प्रतिस्पर्धा या संविदा कार्य के निष्पादन में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ब्यूरो संविदाकार को अनश्चितकाल के लिए अथवा संविदाकार को अयोग्य घोषित किए जाने की तिथि से 24 माह के लिए अयोग्य ठहरा सकता है।

16. गोपनीयता

संविदाकार इस संविदा के तहत इलेक्ट्रिक सेवाओं के लिए रख-रखाव के समय किसी भी व्यक्ति को ब्यूरो की लिखित सहमति के बिना प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा।

17. प्रचार

जिस किसी भी प्रचार सामग्री में ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है तो संविदाकार ब्यूरो से लिखित अनुमति लेने पर ही ऐसा करे।

18. विवाद एवं विवाचक

18.1 ब्यूरो और संविदाकार संविदा से जुड़े किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हरसंभव प्रयास करेंगे । यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल न किया जा सके तो उस मामले को अनुसूची -4 में उल्लिखित अधिकृत अधिकारी

द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।। भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे ।

19. नोटिस भेजने का तरीका

19.1 संविदा में उल्लिखित दोनों पक्षों के बीच पत्राचार लिखित में होने पर ही प्रभावी होगा । नोटिस (भारतीय संविदा अधिनियम के तहत) के केवल डिलिवरी होने पर ही प्रभावी होगा।

19.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ब्यूरो के प्राधिकृत द्वारा सभी नोटिस जारी की जाएंगे । यदि संविदाकार के अनंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पर इसे समय पर या डिलीवर हुए के समान माना जाएगा ।

20. शासी भाषा

20.1 संपूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेतु शासित भाषा केवल अंग्रेजी होगी ।

21 कानून

संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी।

22. कानूनी क्षेत्र

22.1 संविदाकार द्वारा केवल उत्तर प्रदेश की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबंधित मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

23. स्टाम्प ड्यूटी

23.1 संविदा से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

અનુસૂચી ૩

अनुसूची 4 : विशिष्ट एवं संबद्ध तकनीकी विवरण

1. **संविदा की प्रस्तावित वैधता :** संविदा, संविदा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से तीन साल के लिए वैध होगी। तीन साल । तथापि, संविदा की वार्षिक आधार पर समीक्षा होगी तथा फर्म की सेवाएं संतोषजनक होने एवं दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर प्रतिवर्ष इसे बढ़ाया जाएगा ।
2. **निविदा दस्तावेज की उपलब्धता :**
 - क) **स्थान :** एनआईटीएस, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा,, यू.पी. और बीआईएस की वेबसाइट www.bis.org.in और www.eprocure.gov.in
 - ख) **अवधि:** 30 अगस्त 2016 से **19 सितंबर 2016** तक
3. **पूर्व-बोली कान्फ्रेंस:** प्रमुख (एनआईटीएस), एनआईटीएस, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा,, यू.पी. के कार्यालय में **06 सितंबर 2016** (मंगलवार) , 1500 बजे।
4. **बोलियों को खोलना:** तकनीकी बोलियां 19 सितंबर (सोमवार) 2016 को 1430 बजे प्रमुख (एनआईटीएस), एनआईटीएस, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा,, यू.पी. के कार्यालय में खोली जाएंगी। वित्तीय बोली खोलने की तिथि बोली के तकनीकी मूल्यांकन के बाद तय की जाएगी ।
5. **बोलियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति/तरीका -** एक लिफाफा जिसमें 'तकनीकी बोली' एवं 'वित्तीय बोली' वाले दो लिफाफों हो जिसपर 'इलेक्ट्रिक सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव हेतु बोली' अंकित हो तथा उस पर पक्ष का नाम व पता और यह "प्रमुख (एनआईटीएस), राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान, ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश" को भेजा जाए जो कि 19 सितंबर (सोमवार) 2016 तक पहुंच जाए।
6. **धरोहर राशि जमा :** रूपए पचाह हजार (रु. 50,000/-)
7. **कार्यकारिता प्रतिभूति जमा:** संविदा देने के कुल वार्षिक मूल्य का 10%
8. **बोलियों की वैधता:** तकनीकी बोली को खोलने से 90 दिनों तक
9. **इस निविदा/संविदा हेतु ब्यूरो की ओर से प्राधिकृत अधिकारी :** प्रमुख (एनआईटीएस) ।

अनुसूची-5 वित्तीय बोली
(वित्तीय बोली लिफाफे में प्रस्तुत करें)

प्रमुख, (एनआईटीएस)

एनआईटीएस ए-20-21, इंस्टीट्यूशनल एरिया,

सेक्टर 62, नोएडा - 201301 यूपी

महोदय,

आपकी 'एनआईटीएस(बीआईएस) में इलेक्ट्रिक सेवाओं के वार्षिक रख-रखाव' हेतु निविदा सूचना दिनांक----- के संदर्भ में मैं/हम नीचे दी गई दरें उद्धृत करते हैं

सारणी 'क'

क्रम सं.	श्रेणी	संभावित आवश्यकता	प्रति व्यक्ति प्रति माह/रख-रखाव प्रभार उद्धृत राशि (अंकों में)	प्रति व्यक्ति प्रति माह उद्धृत राशि (शब्दों में)
1.	निरीक्षक	01		रूपए----- -----केवल
2.	इलेक्ट्रिशियन	03		रूपए----- -----केवल
3.	विद्युत उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव प्रभार (तय रूप में)			रूपए----- -----केवल

मैंने/हमने अनुसूची -2 में यथा उल्लिखित इलेक्ट्रिक रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा दस्तावेज को पढ़ लिया है और सभी शर्तों एवं निबंधनों तथा कार्यक्षेत्र को समझ लिया है।

हस्ताक्षर : -----

तिथि :

नाम : -----

पता : -----

सारणी 'ख'

क्रम सं.	विवरण	निरीक्षक	इलेक्ट्रिशियन
		(कुशल श्रमिक)	(कुशल श्रमिक)
1.	आधारभूत न्यूनतम मेहनताना जिसमें प्रति व्यक्ति वीडिए शामिल हो (उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार बोली जमा करने की अंतिम तिथि को)		
2.	ईएसआई		
3.	ईपीएफ		
4.	ईडीएलआई		
5.	ग्रेच्युटी/टर्मिनल लाभ		
6.	बोनस		
7.	यूनीफार्म एवं धुलाई भत्ता		
8.	कुल लागत प्रति व्यक्ति माह		

हस्ताक्षर : -----

तिथि :-----

नाम : -----

पता : -----

अनुसूची-6 : संविदा फार्म

करार

यह करार.....के दिन मैसर्स.....के बीच किया गया है (संविदाकार का नाम व पता)(जिसे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है। जब तक प्रसंगगत या इसके विरुद्ध न हो, इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जाएगा तथा उसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे, एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो का राष्ट्रीय मानीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), ए-20 व 21, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर - 62, नोएडा- 201301 (जिसे आगे इसमें ब्यूरो कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय समझा जाएगा, जब तक प्रसंगगत या उसके अभिप्राय विरुद्ध न हो, इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दकार शामिल होंगे), दूसरे पक्ष के बीच करार हुआ।

जबकि संविदाकार सेवा प्रदाता होगा।

जबकि ब्यूरो निगमित निकाय है, जो संसद के द्वारा अधिनियमित है। ब्यूरो ----- दर संविदा आधार पर खरीदने का इच्छुक है। अतः खुली या विज्ञापन/निगमित/एकल निविदा दिनांक.....के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं ।

जबकि, संविदाकार (सफल बोलीदाता) ने अपने प्रस्तुत बोली दस्तावेज के अनुसार ----- देखें तथा बोली की प्रक्रिया के अनुपालन से 'यथा सफल बोलीदाता' चुना गया तथा संविदा मूल्यों पर बातचीत कर, दिनांक.....को संविदाकार को स्वीकार्यता पत्र (LOA) संख्या.....दिया गया।

नीचे दर्शाई गई शर्तों एवं अनुपालन हेतु दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए:

“निविदा दस्तावेज (संविदा की शर्तों) की अनुसूची-2”

(संविदाकार/प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

नाम-----

पदनाम-----

पता-----

फर्म/कंपनी की सील

साक्षी :

(हस्ताक्षर)

(ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर)

नाम-----

पदनाम-----

पता-----

ब्यूरो की सील

साक्षी :

(हस्ताक्षर)

साक्षी का नाम-----

पता-----

साक्षी का नाम-----

पता-----

अनुसूची - 7 : बोलीदाताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य मानक प्रपत्र, यदि कोई हो

क्रम. स.	अनुलग्नक -1	बैंक गारंटी बंधपत्र का प्रपत्र (अग्रिम राशि के रूप में बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि और सफलतम बोलीदाता के रूप में निष्पादन प्रत्याभूति जो लागू हो)
1	अनुलग्नक -2	बोलीदाता द्वारा भरा जाने वाला विवरण (सभी बोलीदाताओं द्वारा लिफाफे में जमा की जाए जिसमें तकनीकी बोली हो)
2	अनुलग्नक -3	बोलीदाता द्वारा इसी प्रकार की प्रदान की गई सेवाओं का विवरण (पात्रता शर्तें देखें) (सभी बोलीदाताओं द्वारा लिफाफे में जमा की जाए जिसमें तकनीकी बोली हो)
3	अनुलग्नक-4	काली सूची और/या मुकद्दमें के संबंध में घोषणाएं (सभी बोलीदाताओं द्वारा लिफाफे में जमा की जाए जिसमें तकनीकी बोली हो)

Annexure –1 of Schedule 7

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

1. In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called 'The BUREAU') having agreed to exempt _____
(hereinafter called "the said Contractor(s)") from the demand under the terms and conditions of an Agreement dated _____ made between

_____ and _____ for
_____ (hereinafter called "the said Agreement of security deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs.

_____ (Rupees _____ Only)
we, _____ (hereinafter referred to as 'the bank')

(indicate the name of the bank)

at the request of _____ [(Contractor (s) do hereby undertake to pay the Bureau an amount not exceeding Rs. _____ against any loss or demand caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.

2. We _____ do hereby undertake to

(indicate the name of the bank)

pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We, _____ further agree that the Guarantee herein contained
(indicate the name of Bank)

shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the authorized officer of the Bureau (General Service Department) certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We.....further agree with the Bureau that the Bureau shall(indicate the name of Bank)have the fullest liberty without our consent and without affecting in any

manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time to performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bureau against the said Contractor (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor (s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Bureau or any indulgence by the Bureau to the said Contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).

7. We, lastly undertake not to revoke this guarantee during (indicate the name of bank) its currency except with the previous consent of the Bureau in writing.

Dated theday of.....2016
For

(indicate the name of bank)

अनुसूची 7 का अनुलग्नक-2
बोलीदाताओं द्वारा दिया जाने वाला विवरण

1. फर्म/कम्पनी का नाम:
2. वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी:
3. पंजीकरण का मूल्य:
4. पत्राचार का पता:
5. दूरभाष संख्या:
6. ईमेल:
7. स्वामी/भागीदार/निदेशक के विवरण:

नाम	पता	अर्हता और अनुभव

8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में फर्म/कम्पनी का वार्षिक कारोबार (लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जायें):

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रु.)	लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रतियाँ (हाँ/नहीं)
पिछला वित्तीय वर्ष (Y-1)		
दूसरा पूर्व वित्तीय वर्ष (Y-2)		
तीसरा पूर्व वित्तीय वर्ष (Y-3)		

9. फर्म/कम्पनी का पैन, टिन नम्बर:
10. सेवाकर पंजीकरण सं.:
11. धरोहर राशि जमा ड्राफ्ट की संख्या/तिथि व बैंक का नाम :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने निविदा सूचना की शर्तों एवं निबंधनों को पढ़ एवं समझ लिया है।

मैं/हम वचनबद्ध हैं कि मैं/हम निविदा की सभी शर्तों एवं निबंधनों के लिए मेरी/हमारी बिना शर्त

एवं स्वीकार्यता देता हूँ/देते हैं तथा इन शर्तों एवं निबंधनों के पालन के लिए सहमत हूँ/हैं ।

फर्म/कम्पनी का नाम एवं हस्ताक्षर

फर्म/कम्पनी की मुहर

तिथि:

स्थान:

अनुसूची 7 का अनुलग्नक -3

बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई समान प्रकृति की सेवाओं के विवरण (पात्रता शर्तें देखें)

बोलीदाता का नाम:

वर्ष	दी जाने वाली सेवाओं का नाम एवं प्रकार	ग्राहक का नाम एवं पता	संविदा का मूल्य	टिप्पणियाँ
2015-16 (तिथि तक)				
2014-15				

2013-14				
2012-13				
2011-12				
2010-11				
2009-10				

टिप्पणी : टर्नओवर की रकम फर्म के सीए द्वारा प्रमाणित एवं लेखा परीक्षित हो तथा इसके लिए पृथक शीट संलग्न की जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर-----

बोलीदाता का नाम और पता -----

फर्म/ कम्पनी की मुहर-----

अनुसूची 7 का अनुलग्नक-4

काली-सूची एवं/या मुकदमों के संबंध में घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म/एजेंसी को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के तहत किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के विभाग/राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है । मैं /हम यह भी घोषणा करता हूँ/हैं कि भारत में कहीं पर भी फार्म/कम्पनी या इसके स्वामी/भागीदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज या लंबित नहीं है ।

दिनांक माह 2016

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता का नाम एवं पता

.....

फर्म/कम्पनी की मुहर

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

National Institute of Training for Standardization (NITS)

**A-20-21, Institutional Area,
Sector 62, Noida-201301 (Uttar Pradesh)**

TENDER NOTICE

Our Ref: NITS/ADMN/1:9

30.08.2016

Sealed bids are invited under two-bid system from eligible and interested firms/companies for **Annual Maintenance of Electrical Services** by the Bureau for National Institute of Training for Standardization (NITS) located at A-20-21, Sector 62, Noida, U.P. The tender document can be downloaded from www.bis.gov.in and www.eprocure.gov.in. The closing date and time of receipt of bids is 19 September 2016 (Monday) upto 1400 h and the technical bids shall be opened on the same day at 1430 h.

The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

उप-निदेशक (प्रशासन और वित्त)
Dy. Director (Admn & Fin.)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
National Institute of Training for Standardization,
A-20-21, Sector 62, Noida (UP)

TENDER NOTICE

Bureau of Indian Standards invites sealed bids, *under two bid system (Technical bid and Financial bid)* for **Annual Maintenance of Electrical Services** for National Institute of Training for Standardization (NITS), located at A-20-21, Sector 62, Noida (UP), from eligible and interested firms/companies as per the details given below:

1. Eligibility –

- Should have a valid registration with CPWD/PWD (NCTD)/CCU of Ministry of Environment and Forest as minimum Class-IV contractor or equivalent in Uttar Pradesh, PWD.

Or

Non-CPWD registered contractors shall have to fulfill the criteria of satisfactory execution of works in the last 7 years ending on 31 March 2016, as given below:-

- Three similar works (as mentioned in Scope of Work under clause 6 of Schedule 2), each of value not less than Rs. 4,80,000.00
- or**
- Two similar works (as mentioned in Scope of Work under clause 6 of Schedule 2), each of value not less than Rs. 7,20,000.00
- or**
- One similar work (as mentioned in Scope of Work under clause 6 of Schedule 2) of value not less than Rs. 9,60,000.00
- Should have a valid licence under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 for deploying the personnel to provide the Manpower Services in Delhi/NCR/Uttar Pradesh.
 - Should have a valid PAN issued by the Income tax Department, (self-attested copies has to be attached).
 - Should not have been blacklisted by the Deptts/Ministries of the Govt. of India/State Govt./PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).

2. Proposed validity of the contract: Three Years.

3. Availability of Tender Documents:

Place: National Institute of Training for Standardization, A-20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida-201301 (UP) during office hours and BIS website www.bis.gov.in and www.eprocure.gov.in

Period: 30 August 2016 to 19 August 2016

4. Pre-bid Conference: 1500h on 06 September 2016 (Tuesday)

5. **Opening of Bids:** Technical Bids shall be opened at 1430 h on 19 September 2016.
6. **Method/manner for Submission of Bids:** An envelope super-scribing '**Bid for Annual Maintenance of Electrical Services at NITS, (BIS)**' having two envelopes containing "Technical Bid" and "Financial Bid" must bear the name & address of the party & shall be addressed to "Dy. Director (Admn. & Fin.), National Institute of Training for Standardization, A-20-21, Sector 62, Noida (UP)".
7. **Earnest Money Deposit:** Rs. 50,000/- (As per Schedule-1)
8. **Performance Security Deposit:** 10% of the total annual value of the award of contract.
9. **Validity of Bids:** 90 days from opening of technical bid.
10. The Bureau reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

Dy. Director (Admn & Fin.)

TENDER DOCUMENT

SCHEDULE - 1: INSTRUCTIONS TO BIDDERS

1. Notice inviting Bids:

1.1 Sealed Bids, under two bid system (Technical bid and Financial bid), are invited by the National Institute of Training for Standardisation (NITS) of Bureau of Indian Standards (BIS), from eligible Bidders for Annual Maintenance of Electrical Services as specified in the **Schedule-2 of tender document**.

2. Issue of Tender Document:

2.1 The blank Tender document will be available during the period indicated in the **Schedule-4**, during the office hours.

2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the Bureau www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in.

2.3 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.

2.4 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.

2.5 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The Bureau shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

3. Language of Bid/Contract: The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

4. Pre-bid Conference:

4.1 A Pre-bid conference of all intending Bidders will be held at the scheduled date and time indicated in the **Schedule-4**. Intended Bidders will be allowed to seek clarification, if any.

5. Validity of Bids:

5.1 The Bids shall be valid for a period of 90 days from the date of opening of technical bid.

6. Earnest Money/ Bid Security:

6.1 The Bidder shall deposit with the Bureau a sum indicated in the **Schedule-4** as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Bureau of Indian Standards, or a Bank Guarantee as per format indicated in **Annexure-1** of Schedule 7.

6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the Bureau shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).

6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the Bureau during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the Bureau without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the Bureau for Annual Maintenance of Electrical Services during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.

6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the Bureau.

6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the Bureau and signs the agreement or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

7. Method of Quoting Rates

7.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the technical specifications & conditions and arrive at the amount to be quoted. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.

7.2 The Table-A of Schedule-5 containing the financial Bid shall be exclusive of any service tax, education cess and secondary and higher education cess or any other applicable taxes. The taxes as may be levied by the Government from time to time shall be charged by the contractor in addition to the rates quoted in the bid by the contractor.

7.3 The quoted consolidated monthly amount prices shall be inclusive Bureau's contribution towards ESI, PF, Gratuity, Bonus, Substitutes. It shall also include Annual Maintenance Charges, cost of training and uniform, Supervision of company etc. Total Consolidated monthly amount (including Minimum Wages, ESIC, EPF etc.) per person should be quoted by the bidder under each of the category separately.

7.4 The bidder should quote the details (price-break up) of the monthly consolidated amount in the **Table-B of Schedule-5**.

7.5 Prices shall be valid for a period of one year. However, on revision of minimum wages by Government of Uttar Pradesh the same shall be revised by the Bureau. However, even on revision of minimum wages, the contractor's profit in absolute terms (not in percentage terms) shall remain the same throughout the contract period as was quoted by the contractor in his bid.

8. Manner of Submission of Bid

8.1 The complete Bid will be received as indicated in the **Schedule-4**, by depositing the same through the Bid Box or by post which reaches the specified place before the specified time.

8.2 E-mail or fax offers will be rejected.

9. Last Date for Submission

9.1 Sealed Bids shall be received at the address specified above not later than the time and date specified in the Tender Notice. Bids received after the specified date and time for receipt of bids shall not be considered. Hence, such bids shall be rejected and returned unopened to the Bidder.

9.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday, the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

10. Modification and Withdrawal of Offer

10.1 The Bidder may withdraw its offer after its submission, provided that written notice of withdrawal is received by the Bureau prior to the closing date and time prescribed for submission of offer.

11. Contents of Bid Document

11.1 Bids are invited in two-bid system (Technical bid and Financial bid). The completed Bid shall be submitted in sealed envelope, super-scribing **Bid for Annual Maintenance of Electrical Services at NITS, (BIS)** as mentioned in the **Schedule-4**.

11.2 The envelopes shall contain the following:

a) Envelope No.1 (Technical Bid): This should contain all technical details alongwith commercial terms and conditions such as:

- (i) List of all the documents enclosed;
- (ii) The EMD as indicated in clause 6.1 above.
- (iii) Attested Copy of Order of Enlistment in Class-IV under Composite Category of CPWD/PWD (NCTD)/ CCU of Ministry of Environment and Forest or equivalent in Uttar Pradesh, PWD
- (iv) Attested Copy of valid Trade Licence.
- (v) A copy of the valid licence under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 for deploying the personnel to provide the Manpower Services in Delhi/UP.
- (vi) Copies of last Income Tax Returns and Service Tax Returns filed with the concerned Authorities;
- (vii) Details of the firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc. (**Annexure-2 of Schedule-7**);
- (viii) In case of a firm, each partner or power of attorney holder shall sign the Bid. The attested copies of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed with the Bid. The power of attorney shall be signed by all partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided;

(ix) All pages and pasted slips should be signed by the Bidder and no page shall be added or removed from the set of Bid Document. Duly signed Bid document is to be returned as a token of its acceptance;

(x) A statement showing the magnitude of Work/Service done in the last seven (7) years (**Annexure-3 of Schedule 7**);

(xi) A declaration regarding black-listing and/ or litigations (**Annexure-4 of Schedule-7**)

b) Envelope No.2 (Financial Bid): This envelope shall only contain category-wise price for the maintenance and manpower services to be hired at specified places as per **Schedule-5**, duly filled in and initialed on each page and signed by the Bidder at prescribed places of the Bid. The instructions contained in clause 7 may please be noted.

c) Covering Envelope: Both the envelopes 1 and 2 shall be put together in a common sealed envelope super-scribing the '**Bid for Annual Maintenance of Electrical Services at NITS, (BIS)**' and addressed to Head (NITS) as mentioned in **Schedule-4** and the name and address of the Bidder at the bottom left.

12. Other Important Points to be noted by the Bidder:

a. The amount quoted in the Financial Bid should be written both in words and figures at appropriate places (Schedule 5).

b. If a bidder quotes 'Nil' profit or service charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered.

c. The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in **Tender Document**, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected. The financial bid of the bidder with Nil/Zero/Impractical service charge will not be accepted.

13. Opening of Bid

13.1 The Bids received before the time and date specified in Tender Notice, will be opened as per the specified program in the office as mentioned in the **Schedule-4** (if possible), in the presence of Bidders or their authorized representatives who choose to remain present on the opening day, at the scheduled time.

14. Shortlisting of Bidders

14.1 The Bureau will short-list technically qualifying Bidders. Financial Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened before representatives of bidders, who have chosen to be present during opening of financial bids, at a date and time to be intimated.

15. Opening of Financial Bids

15.1 The Bureau shall open Envelope No.2, on notified date, and the rates quoted by the bidder in price schedule (**Schedule-5**) shall then be read out before representatives of bidders, who have chosen to be present during financial bid. The financial bids shall be evaluated, on the basis of the total cost submitted by the firm. The financial bids shall be

evaluated, on the basis of the tentative requirement of manpower, under different categories and Annual Maintenance Charges, to decide the lowest bidder, through following formula:

Formula:-

S: Amount Quoted for Supervisor (As per Sl. No. 1 of Table-A of Schedule 5) x tentative requirement.

E: Amount Quoted for Electricians (As per Sl. No.2 of Table-A of Schedule 5) x tentative requirement

A: Amount Quoted for Total Annual Maintenance Charges

Total Bid Amount: S+E+A

16. Acceptance of Bid

16.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the Bureau. The Bureau is not bound to accept the lowest or any Bid. The Bureau reserves the right to reject any or all Bids received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the Bureau.

17. Process to be Confidential

17.1 Information relating to the examination, evaluation and comparison of Bids and the award of a Contract shall not be disclosed to Bidders or any other person not officially concerned with such process until the award to the successful Bidder has been announced.

18. Execution of Contract Document

18.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security, is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value of Rs. 100/- to be purchased in Uttar Pradesh. The Agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Conditions of the Contract (CoC) and other documents as specified in the CoC.

18.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

19. Rights of the Bureau

19.1 The Bureau reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work put to this Bid. The right to split up the Annual Maintenance Services in two or more parts is reserved by the Bureau and also the right to award contract to more than one agency is reserved.

19.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the Bureau shall be final and binding on all Parties.

20. Notice to form Part of Contract

20.1 Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

SCHEDULE – 2

CONDITIONS OF CONTRACT

1 Definitions

- i) **‘Annexure’** referred to in these conditions shall mean the relevant annexure appended to the Tender Document and the Contract.
- ii) **‘Approved’** shall mean approved in writing including subsequent confirmation of previous verbal approval and “Approval” shall mean approval in writing including as aforesaid.
- iii) **‘Bid’** means the Contractor’s priced offer to the Bureau for the Annual Maintenance services at the specified places and remedying of any defects therein in accordance with the provision of the Contract, the installation and services as accepted by the Letter of Acceptance.
- iv) **‘Bureau’** shall mean Bureau of Indian Standards (BIS) established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.
- v) **‘Commencement Date’** means the date upon which the Contractor receives the notice to commence the rendering of services at specified places.
- vi) **‘Competent Authority’** shall mean any officer authorized by the Bureau to act on behalf of the Bureau under this contract.
- vii) **‘Contract’** shall mean and include the Tender Notice, instructions to bidders, terms and conditions of contract, Letter of Acceptance, the Offer, the Agreement and mutually accepted conditions in the authorized correspondence exchanged with the bidder by the Bureau and any other document forming part of the contract.
- viii) **‘Contract Amount’** shall mean the sum quoted by the Contractor in his bid and accepted by the Bureau.
- ix) **‘Contractor’** shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the Contract and shall include legal representatives of such individual or persons composing such firm or unincorporated company or successors of such firm or company as the case may be and permitted assigns of such individual or firm or company.
- x) **‘Director General’** shall mean the Director General of the Bureau, for the time being holding that office and also his successor and shall include any officer authorized by him.
- xi) **‘Government’** shall mean the Central Government.
- xii) **‘Letter of Acceptance’** means the formal acceptance by the Bureau.
- xiii) **‘Services’** shall mean the services to be provided to the Bureau by the Contractor as stated in the Contract and other services that are prescribed in the Tender document.
- xiv) **‘Specification’** means the specification referred to in the tender. In case where no particular specification is given, the relevant specification of the Bureau, where one exists, shall apply.

xv) **‘Tender’** means formal invitation by the Bureau to the prospective bidders to offer fixed price for Annual Maintenance of Electrical services at NITS.

xvi) **‘Time for Completion’** means the time for completing the supply of Annual Maintenance of Electrical services or any part thereof as stated in the Contract calculated from the Commencement Date.

xvii) **‘NITS’** shall mean National Institute of Training for Standardization, a training Institute of Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standards Act, 1986.

2. Parties to the Contract

2.1 The parties to the contract shall be the Contractor, whose offer is accepted by the Bureau; and the Bureau.

2.2 The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the Bureau may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

3. Performance Security

3.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, as defined in Schedule 4 shall be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of ‘Bureau of Indian Standards’ payable at ‘Noida’ or a Bank Guarantee as per format indicated in Annexure-1 of Schedule-7.

3.2 Performance Security will remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of all contractual obligations of the contractor.

3.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the Bureau, make good the deficit. In case, security is deposited by way of bank guarantee by the Contractor, then any penalty for damages liquidated or unliquidated or for any breach or failure or determination of Contract, not previously paid to the Bureau, shall immediately on demand be paid by the said bankers to Bureau under and in terms of the said guarantee.

3.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the Bureau shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.

3.5 Nothing herein mentioned shall debar the Bureau from recovering from the Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.

3.6 The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the Bureau. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the Bureau within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the Bureau on the Contractor.

4. Contract Documents

4.1 The several Contract documents forming the Contract shall be taken as mutually explained to one party by the other, but in case of ambiguities or discrepancies the same shall be explained and harmonized by the Competent Authority of the Bureau who shall issue to the Contractor necessary instruction thereon and in such event unless otherwise provided in the Contract the priority of the documents forming the contract shall be as follows:

- i) The Agreement
- ii) Minutes of pre-bid meetings, clarifications
- iii) The Conditions of Contract
- iv) Tender Notice and Tender Document
- v) Letter of Acceptance.
- vi) Any other correspondence exchanged between the parties in connection with the contract.
- vii) The Contractor's Offer

5. Validity of the Contract

5.1 The Contract shall be valid for a period of three years from the date of signing this Contract. However, the contract will be reviewed on yearly basis and extended every year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties.

6. Scope of Work

6.1 Services to be provided under this Contract:

i) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of Electrical Equipments:

The contractor shall have the responsibility of preventive, routine and breakdown maintenance of all electrical equipments to ensure their maximum utilization.

ii) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of Transformer: Two sets (400- KVA, 11000V/433V)

- a. The contractor shall check transformer oil level in conservator once in a month. The contractor shall top up with new tested insulating oil of appropriate grade as per IS 335, in case the oil level falls below the minimum level. The contractor shall also repair the leakage of transformer oil, in case, the leakage is detected.
- b. The contractor shall check and tighten the loose connections of the transformer e. g. L.T connections neutral & body-earthing once in a month.
- c. The contractor shall examine Bushings for crack and dirt deposit and shall clean or replace, as necessary, once in three months

d. The contractor shall filter, dehydrate and replace, if necessary the entire engine oil the contractor shall replace the entire oil with new tested oil of appropriate grade (as per IS 335) and clean sludge from the inside of the tank of the transformer as and when required.

e. The contractor shall check neutral earth and equipment body earth once in a year

f. The contractor shall do insulation testing of the following once in a year and maintain records:-

- Between L.T and earth with 1000V megger
- Between H.T and earth with 1000V megger
- Between H.T and L.T winding with 500V megger

g. The contractor shall examine Silica Gel for colour and take necessary corrective actions, as and when required.

h) The contractor shall check noise/humming sound, temperature rise (over heating) and crack in bituminous compound once in a month.

i) General cleaning of transformer to keep it free from dust and soot once in a month.

iii) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of H.T Panel & H.T Line

The contractor shall attend and maintain these panels after shutting down as per the frequency indicated below:-

a) Solid earthing must be done after making bus bars dead. Contractor shall ensure that only licensed and registered technician/ supervisor shall attend to H.T. Panel System.

b) Contractor shall do general cleaning of the H.T, VCB (H.T.V.C.B 11KV, 623Amps) inside and outside once in six months. Contractor shall check power auxiliary contacts, clean minor fittings with emery cloth and circuit breaker oil once in six months.

c) Contractor shall grease /oiling of the moving/sliding mechanism of VCB (Vacuum Circuit Breaker) once in six months.

d) Contractor shall tight terminals nuts/bolts/screws once in six months.

e) Contractor shall check closing and tripping mechanism of VCB & Testing of relays once in six months

f) Contractor shall measure insulation of bus –section i.e. phase to phase and phase to earth once in a year.

g) Contractor shall measure insulation resistance of H.T cables incoming to and outgoing from consumer H.T.VCB including transformer H.T winding once in a year. Contractor shall check the insulation oil inside the tank of VCB once in a year and oil level of H.T.VCB tank and condition of all gaskets shall be checked once in a month and it shall be ensured that there is no leakage.

h) Contractor shall replace, if necessary, the defective and damaged component once in a year under intimation and approval of Competent Authority.

- i) Contractor shall check, clean, test and calibrate relays in H.T panel for protection once in a year.
- j) Contractor shall check over-heating, crack in bituminous compounding once in a month.
- k) Contractor shall check specific gravity of the liquid of the battery cell and maintain minimum level by adding distilled water checking ampere capacity of the battery cell with cell tester once in a month(not applicable for maintenance free battery)
- l) Contractor shall check battery charger and its operation once in three months.

iv) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of L.T Panel & L.T Line

- a) Contractor shall do general cleaning of the L.T. Panel, inside and outside for removal of dust and soot once in a month.
- b) Contractor shall check the tightness of the connection of the bus-bars, with gear, control wiring for indicating lamps, voltmeter with selector switches, ammeter with selector switches, incoming and outgoing cables once in a month.
- c) Contractor shall visually inspect the main contacts of the ACB once in six months. Minor pitting of the contacts of the ACB is to be cleaned with emery cloth and carbon tetrachloride/contact cleaning liquid. Major pitting or damaged contacts are to be replaced.
- d) Contractor shall check castle locking arrangement for correct operation once in six months.
- e) Contractor shall check relays for protection and clean once in six months.
- f) Contractor shall replace damaged /burnt out component when necessary.
- g) Contractor shall do greasing /oiling of moving or sliding parts of ACB/MCCB once in six (6) months.
- h) Contractor shall check tripping mechanism of ACB/MCCB once in a year.
- i) Contractor shall test and calibrate of the relays once in a year.
- j) Contractor shall insulation test for phase to phase and phase to earth with 1000V meggar are to be carried out once in a year for L.T.Panel. The contractor is liable to furnish the certificate for the above.

v) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of Air Conditioners (including AC Duct plant) and Other Appliances such as Geysers, Heat convectors etc

The contractor shall maintain all Air Conditioners installed at various places of NITS and following shall be done during routine maintenance:

- a) The contractor shall operate and maintain the Air Conditioners installed at various places.
- b) The contractor shall do general cleaning of all Air Conditioners once in a month and servicing once in every six months. If any part damaged /burnt/need replacement shall be done as per requirement in consultation with NITS.

c) The Air Conditioners compressor and leakage of compressor gas, fan motor, stabilizer, and plugs, sockets shall be tested in six months. In case gas leakage or refilling is required action shall be taken in consultation with NITS & charges shall be paid at agreed prevailing market rate.

d) The contractor shall maintain and operate the Air Conditioning Plant installed for auditorium and conference hall. The contractor shall repair and replace defective parts of the air conditioner plant in consultation with NITS. The Air Conditioning Plant shall be run continuously at least for half an hour once in 03 months (as trial run)

e) Routine Maintenance of Geysers/Heat Convector shall be looked after by the contractor

vi) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of Earth Electrode & Earthing System

a) The contractor shall check earth resistance of the combined earth electrode (equipment and neutral separately) once in a year.

b) The contractor shall check earth leads to all equipment for its continuity after tightening all connection once in a year.

c) The contractor shall install new earth electrodes in parallel to reduce the earth resistance, in case the earth resistance found higher than 1ohm. The contractor is liable to furnish certificate for this.

d) The contractor shall check earth continuity of all testing machine/equipment, 3-phase, 415V or every section in NITS once in a year.

vii) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of all Distribution Boards including Power D.B/Lights D.B/Fuse D.B

a) The contractor shall do general cleaning of distribution boards inside and outside for removal of dust and soot once a month.

b) The contractor shall check tightness of connection inside the distribution boards once in a month.

c) The contractor shall replace damaged /burnt out (if found any) components of the distribution boards as and when required.

viii) Preventive, Routine and Breakdown Maintenance of all fittings including Lights, Fan, Regulator, Switch, Plug, Fuse, Calling bell Plugs and Sockets/ Motor Pumps and other Electrical Fittings in NITS premises

a) Contractor shall do routine maintenance /servicing of all tube light fittings, street lights, lamps sheds, ceiling fans (inside coil/bearing/bush), fan regulator, calling bell, plugs, fusers' etc.

b) Contractor shall operate and maintain of four pump sets of the fountain opposite to Administrative office Building entrance.

c) Contractor shall operate and do routine Maintenance of six numbers of water lifting pump sets (02 Pump sets and one submersible for supply of water to Office Building as well as Hostel Building + 03 Pump sets for fire-fighting operation out of which one is Diesel Operated).

ix) Diesel Generator Set including its Panel (Operation & Routine Maintenance)

- a) Routine maintenance of 180 & 160 kVA Diesel Gensets coupled with Greaves make Engine and Kirloskar & Jyoti Ltd. Alternator and operation of the same as and when required.
- b) Periodical checking of Diesel Gen sets shall be done once in a month. Servicing once in six (06) months or 250 hrs meter reading of each set with authorized service providers of Greaves Cotton Limited shall be done at BIS cost, however the contractor shall provide full support to the service provider.
- c) Checking of DG set panel battery charger & its operation shall be carried out on every month, including batteries volt, amperes and battery water.
- d) The contractor should check and shall be carry out the maintenance of Alternator, Dynamo, Solenoid, Control Panel, Self Starter, leakage of oil from sump, Lubricant, oil cooler etc.
- e) The contractor shall carry out cleaning & repair of Radiator, inter-cooler, water pump, Turbo charger, and calibration or testing and repair of the fuel injection system.
- f) Replacement of damaged /burnt out (if found any) components of the Diesel Gen sets as and when necessary.
- g) Checking of all the meters, indicating lamps, batteries, controls, DG set-engine oil level, lubricant system, air pressure, air filter system, radiator, etc. for their proper working periodically.
- h) The contractor shall check adequacy of diesel for operating DG set from time to time
- x) The contractor shall coordinate with Paschimanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited regarding maintenance/breakdown of electricity supply and any such issues shall be brought under the notice of NITS.**

Bureau shall provide necessary material (excluding maintenance and testing equipments) to the contractor for maintenance of electrical services.

a. The minimum requirement of manpower is as under:

Sl. No.	Category Skilled	Tentative Requirement of Manpower	Minimum Qualification & Experience
1.	Electricians (One in each shift of eight hours)	03	Certificate from Industrial Training Institute Certificate in the trade of Electrician with minimum three years experience;
2.	Supervisor (General Shift of eight hours)	01	One diploma engineer(Electrical) with minimum experience of 3 years

6.2 The above-mentioned requirement of manpower may increase or decrease during the period of contract.

6.3 The Contractor shall also ensure that for different services, only such smart intelligent, experienced and with specific qualifications are deployed in Bureau's premises who can cater to the requirements of Bureau's standards, failing which it shall be liable for Contractor to provide replacement immediately.

7. Contractor's Obligation(s) (General)

7.1 The Contractor shall provide maintenance services at Bureau's premises as per Clause 6, which may be amended from time to time by the Bureau during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the Bureau from time to time.

7.2 Bureau shall have the right, within reason; to have any personnel removed who is considered to be undesirable or otherwise. However, the Contractor has no right to remove any personnel without prior intimation and approval of the Bureau, emergencies, exempted.

7.3 The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of Annual Maintenance services. Contractor shall maintain Measurement Books and a Register of Measurement Book, which shall be made available all the time to the Bureau.

7.4 Adequate supervision shall be provided to ensure correct performance of the services in accordance with the prevailing requirements agreed upon between the two parties.

7.5 All necessary reports and other information shall be supplied immediately as required and regular meetings will be held with the authorized officer of the Bureau.

7.6 Wherever the records of maintenance are being maintained by the contractor, the same are liable for ascertaining at any point of time, whether informed or otherwise.

7.7 In case the Contractor fails to fulfill the minimum statutory requirements (ESIC/EPF) as per the conditions of the tender document and fails to produce the concerned documents, it shall be treated as breach of the Contract and the Contractor is liable to be blacklisted by the Bureau, in addition to forfeiting of the Performance Security.

7.8 In case of breach of any conditions of the contract and for all types of losses caused including excess cost in the event of Contractor failing to provide requisitioned maintenance services, the Bureau shall make deductions at double the rate of hiring rate on prorata basis from the bills preferred by the Vendor or that may become due to the Vendor under this or any other contract or from the performance security or may be demanded from him to be paid within seven days to the credit of the Bureau.

7.9 The Bureau reserves the right to monitor the clock-in time and clock-out time for the Contractor's employees as well as to give working instruction directly to the contractor's employees if in the opinion of the Bureau this is necessary. The contractor's employees must observe all reasonable instructions of the Bureau.

7.10 The Supervisor, who has sound knowledge and experience in electrical services shall be the person in charge of daily operation of maintenance services for NITS (BIS). The personnel shall be strong in supervisory and communication skill, initiative, enthusiastic and reliable. The Supervisor may be required to perform his duties outside the normal working hours at the Contractor's own cost.

7.11 All manpower supplied by the contractor should be observant keen, alert, willing and pleasant. Adequate training for the effective, respective jobs shall be provided by the Supervisor to guarantee a high standard of work.

7.12 Unless written consent is given by the Bureau, the Contract or any part, share, or interest in it, must not be transferred or assigned by the Contractor, directly or indirectly to any persons whomsoever.

7.13 The Bureau shall have power to vary the work reasonably described in the Specifications and Service Schedule and no variation shall void this contract.

7.14 All services performed under this contract shall be subject, before payment, to inspection by the Bureau who may withhold payment when in its opinion any service has not been performed in accordance with the requirements of the contract. Payment for services will be made monthly in arrears by the Bureau only if the services have been performed to the satisfaction of the Bureau.

7.15 The contractor shall be solely liable for and shall indemnify the Bureau in respect of any liability, loss, claim or proceeding whatsoever, arising under any legislation or at common law in respect of personal injury to or the death of any person whomsoever arising out of or in the course of or caused by the execution of the work whether or not due to his negligence and shall effect adequate insurance cover in respect of such risks and shall furnish the Bureau with a copy of the insurance policy.

7.16 The Bureau has the right to verify the mandatory educational/technical qualifications, age-proof and experience certificates in respect of the manpower provided by the contractor in respective category, and reject them for suitable replacement if they found not fulfilling the requirement of the Bureau

7.17 The contractor shall have sufficient equipment for maintenance of electrical services and electrical equipments.

Obligation with respect to the staff provided

7.18 The Contractor shall provide manpower services through its uniformed and trained personnel for the performance of its services hereunder and these personnel of the Contractor only and the Bureau shall not in any manner be liable and all statutory liabilities (such as ESI & EPF etc.) shall be paid by the contractor.

7.19 The Contractor shall submit to Bureau the complete details of amount deposited on account of EPF and ESI in respect of the deployed personnel to the concerned authorities from time to time.

7.20 The wages/salary of the personnel deployed by the contractor in NITS (BIS) shall be made credited directly in the Bank Account of the individual. The contractor shall submit a proof of the same to the Bureau.

7.21 The Contractor shall produce to the Bureau the details of payment of statutory benefits like bonus, leave, relief etc. from time to time to its personnel.

7.22 The contractor shall cover its personnel for personal accident and death whilst performing the duty and the Bureau shall own no liability and obligation in this regard.

7.23 The Contractor after setting antecedents verified from police authorities shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same. The Bureau has the right to inspect the performance of the personnel deployed by the contractor and order for replacing them if the performance is not satisfactory.

7.24 The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the Bureau and they shall not claim any salary or allowances, compensation, damages or anything arising out of their deployment/duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.

7.25 The Contractor shall also provide all benefits statutory or otherwise to its personnel and the Bureau shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contract Labour (Regulations Abolition) Act or any other law in force.

7.26 The Contractor shall provide minimum of two sets each of summer and winter uniform to its personnel at its own cost.

7.27 The Contractor shall submit to Bureau a copy of wages sheet showing monthly wages paid to its personnel.

7.28 The Contractor shall not deploy any person below the age of 18 years old and more than 45 years old. Manpower engaged for the purpose shall be pre-trained and experienced in requisite field.

8. Payment Terms

8.1 The payment towards the services will be made by the Bureau directly to the Contractor on receipt of bill on completion of month. The rates quoted shall be exclusive of any service tax or any other applicable taxes as may be levied by the Government from time to time and the same shall be charged in addition to the applicable Minimum Wages. Bureau will not pay wages to the contractor for the period of absence, if any, of individual/personnel provided for by the contractor.

8.2 Bills for services provided under this contract shall be prepared in duplicate by the Contractor immediately after the completion of month and accepted by the Bureau. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made by Account Payee Cheque drawn in the name of the Contractor/credited directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.

8.3 The Bureau reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the Bureau may have under this or any other Contract/Agreement.

8.4 The payment towards hired manpower shall be made by the following formula with relevant changes as per para 8.1 above. The contractor shall also pay to his personnel by this formula. This formula takes care of all the paid weekly holidays, national holidays and other gazetted holidays.

Formula: Wages payable to individual =

[Total Monthly Wages as above / Total No. of days in the month] x No. of working days in the particular month by the individual.

8. Imposition of fines / penalty

9.1 The Contractor shall disburse wages to its deployed Manpower inclusive of DA, if any, latest by 7th of every month, failing which penalty of Rs.500/-per day will be imposed upto 15th of the month and the contract shall be liable to be terminated. Performance Security is liable to be forfeited and Bank guarantee encashed. The Bureau will have the power to appoint any other contractor for the Annual Maintenance of Electrical Services at the risk and cost of the Contractor.

9.2 Whenever and wherever it is found that the assigned work is not performed upto the entire satisfaction of the Bureau, it will be brought to the notice of Contractor by the Bureau and if no action is taken immediately, penalties will be imposed by invoking penalty clause as mentioned below and the amount of penalty shall be deducted from the bills of the contractor for the same month.

Sl No.	Aspects of Unsatisfactory Work	Penalty
i)	Unsatisfactory performance for the job assigned	Rs 1500/- per day
ii)	Workers' Late attendance or early going or unauthorized absence	Rs 1000/- per day per person
iii)	Workers' misbehavior and unruly activities	Rs 1000/- per day per person
iv)	Non-provisioning of substitute by the contractor for absent personnel	Rs. 1000/- per day per person

10. Indemnity:

10.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the Bureau against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended from time to time.

10.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the Bureau against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.

11. Suspension of Contract

11.1 The Bureau shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the Bureau shall be final and the Contractor shall not be entitled to any compensation by reason thereof.

11.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:

- (a) In the opinion of the Bureau, the Contractor has repudiated the Contract,
- (b) Without reasonable excuse has failed to provide manpower or Services in accordance with this Contract within the time stipulated for completion;
- (c) Despite previous warning from the Bureau, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) Delays in providing manpower beyond a period of 30 days from the scheduled date.
- (e) If the Contractor is in breach of any law or statute governing to provide manpower and maintenance services;
- (f) The Contractor, in the judgement of the Bureau, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (g) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (h) The Contractor becomes insolvent;
- (i) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (j) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (k) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the Bureau.

12. Termination of the contract by the Bureau

12.1 It shall also be lawful for the Bureau to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days notice in writing by the Bureau for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the Bureau under the Contract.

13 Contractor's right to terminate

13.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire security deposit will be forfeited.

14 Force Majeure Clause

14.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the Bureau as to whether the deliveries have been so resumed or not, shall be

final and conclusive, PROVIDED FURTHER that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the Bureau shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.

15 Corrupt or Fraudulent Practices

15.1 The Bureau requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the Bureau defines the terms set forth as follows:

(a) “corrupt practice” means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and

(b) “fraudulent practice” means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the Bureau, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Bureau of the benefits of the free and open competition.

15.2 The Bureau will reject a proposal for award, if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The Bureau will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

16 Confidentiality

The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing maintenance of electrical services under this Contract to any person, without the prior written consent of the Bureau.

17 Publicity

Any publicity by the Contractor in which the name of the Bureau is to be used, should be done only with the explicit written permission of the Bureau.

18 Disputes & Arbitration

18.1 The Bureau and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

19 Mode of serving Notice

19.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).

19.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the Bureau unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

20 Governing language

20.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English only.

21 Law

The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

22 Legal Jurisdiction

22.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Uttar Pradesh only.

23 Stamp duty:

23.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

SCHEDULE -3

BLANK PAGE

SCHEDULE – 4: SPECIFICATION & ALLIED TECHNICAL DETAILS

- 1. Proposed validity of the contract** – The Contract shall be valid for a period of three years from the date of signing this Contract. However, the contract will be reviewed on yearly basis and extended every year subject to the satisfactory performance of the contractor and on the mutual consent of both the parties
- 2. Availability of Tender Documents:**
 - a) Place:** NITS, A-20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, UP and BIS website: www.bis.org.in and www.eprocure.gov.in
 - b) Period:** 30 August 2016 to 19 September 2016
- 3. Pre-bid Conference:** 1500h on 06 September 2016 (Tuesday) in the office of Head(NITS), NITS, A-20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, UP
- 4. Opening of Bids:** Technical Bids shall be opened at 1430 h on 19 September 2016 (Monday) in the office of the Head (NITS), NITS, A-20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, UP. Date of opening of financial bid shall be decided after technical evaluation of the bid.
- 5. Method/manner for Submission of Bids** – An envelope super-scribing ‘**Bid for Annual Maintenance of Electrical Services at NITS, (BIS)**’ having two envelopes containing “Technical Bid” and “Financial Bid” must bear the name & address of the party and shall be addressed to “Head (NITS), National Institute of Training for Standardization, A-20-21, Institutional Area, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh must reach by 1400h on 30 September 2016 (Monday)
- 6. Earnest Money Deposit:** Rupees Fifty Thousand (Rs. 50,000/-)
- 7. Performance Security Deposit:** 10% of the total annual value of the award of contract.
- 8. Validity of Bids:** 90 days from opening of technical bid.
- 9. Authorized Officer on behalf of the Bureau for this tender/contract:** Head(NITS)

SCHEDULE – 5: FINANCIAL BID

(To be submitted in Financial Bid envelope)

Head(NITS)
NITS, A-20-21, Institutional Area,
Sector 62, Noida-201301, UP

Sir,

With reference to your tender enquiry dated _____ for providing 'Annual Maintenance Electrical Services of NITS (BIS)', Noida, I/We quote the rates as given below:

Table-'A'

Sl. No.	Category	Tentative Requirement	Quoted Amount per person per Month/Maintenance Charges (in figures)	Amount quoted per person per month (in words)
1.	Supervisor	01		Rupees _____ _____ only
2.	Electricians	03		Rupees _____ _____ _____ only
3.	Annual Maintenance Charges of Electrical Equipments (In Fixed Terms only)			Rupees _____ _____ only

I/We have read the tender document and understood all the terms and conditions for providing Electrical Maintenance Services as indicated in the **Schedule-2** of the tender document.

Signature: _____

Date: _____

Name: _____

Address: _____

SCHEDULE – 5 (Continued)

TABLE-‘B’

Sl. No.	Particulars	Supervisor	Electrician
		(Skilled Labour)	(Skilled Labour)
1.	Basic Minimum Wages including VDA per person (As on the last date of submission of bid as per Government of Uttar Pradesh.)		
2.	ESI		
3.	EPF		
4.	EDLI		
5.	Gratuity/Terminal Benefits		
6.	Bonus		
7.	Uniform and Washing Allowance		
8.	Total Cost per Head month		

Signature:_____

Date:_____

Name:_____

Address:_____

SCHEDULE - 6: CONTRACT FORM

AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this _____ day of _____ 2016 between M/s_____ (Name and Address of the Contractor) (hereinafter referred to as the CONTRACTOR, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the ONE PART and the National Institute of Training for Standardization (NITS), A-20 & 21, Institutional Area, Sector-62, Noida-201307 of Bureau of Indian Standards (hereinafter referred to as the BUREAU, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the OTHER PART.

WHEREAS the Contractor is a service provider for maintenance of electrical services.

AND WHEREAS the Bureau is a body corporate, enacted by Parliament. The Bureau intends to hire Contractor for Annual Maintenance of Electrical services; therefore, invited bids through Open or Advertised Tender enquiry dated _____

WHEREAS the Contractor (successful bidder) submitted his bid vide _____ in accordance with the bid document and was selected as 'successful bidder' pursuant to the bidding process and negotiation on contract prices, awarded the 'Letter of Acceptance' (LoA) No. _____ to the Contractor on _____.

BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide the terms and conditions as mentioned in

"Schedule-2 (Conditions of Contract) of Tender Document". (To be inserted)

(Signature of Contractor/
Authorized Representative)
Name _____

Designation _____

Address _____

Seal of the Firm/Company

Witness:

(Signature)
Name of Witness _____
Address _____

(Signature of Authorized Officer of the Bureau)

Name _____

Designation _____

Address _____

Seal of the Bureau

Witness:

(Signature)
Name of Witness _____
Address _____

SCHEDULE - 7: OTHER STANDARD FORMS, IF ANY, TO BE UTILIZED BY THE BIDDERS

1.	Annexure-1	FORM OF BANK GUARANTEE BOND (To be submitted by the bidder as Earnest Money and by successful bidder as performance security as applicable)
2.	Annexure-2	DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
3.	Annexure-3	DETAILS OF THE SIMILAR TYPE OF SERVICES PROVIDED BY THE BIDDER (REFER ELIGIBILITY CONDITIONS) (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)
4.	Annexure-4	DECLARATION REGARDING BLACK-LISTING AND/ OR LITIGATIONS (To be submitted by all the bidders in the envelope containing the technical bid.)

Annexure –1 of Schedule 7

FORM OF BANK GUARANTEE BOND

3. In consideration of Bureau of Indian Standards (hereinafter called 'The BUREAU') having agreed to exempt _____ (hereinafter called "the said Contractor(s)') from the demand under the terms and conditions of an Agreement dated _____ made between _____ and _____ for _____ (hereinafter called "the said Agreement of security deposit for the due fulfillment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs. _____ (Rupees _____ Only) we, _____ (hereinafter referred to as 'the bank') (indicate the name of the bank) at the request of _____ [(Contractor (s) do hereby undertake to pay the Bureau an amount not exceeding Rs. _____ against any loss or demand caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of any breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.

4. We _____ do hereby undertake to (indicate the name of the bank) pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on a demand from the Bureau of Indian Standards stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Bureau by reason of breach by the said Contractor (s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reasons of the Contractor (s) failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs.

3. We, undertake to pay to the Bureau any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Contractor (s) / Supplier (s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment there under and the Contractor (s) / Supplier (s) shall have no claim against us for making such payment.

4. We, _____ further agree that the Guarantee herein contained (indicate the name of Bank) shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bureau under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the authorized officer of the Bureau (General Service Department) certifies that the terms and conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor (s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We.....further agree with the Bureau that the Bureau shall(indicate the name of Bank)have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time to performance by the said Contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bureau against the said Contractor (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions

relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor (s) or for any forbearance, act or commission on the part of the Bureau or any indulgence by the Bureau to the said Contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision, have effect of so relieving us.

8. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s).

9. We, lastly undertake not to revoke this guarantee during (indicate the name of bank) its currency except with the previous consent of the Bureau in writing.

Dated theday of.....2016

For
.....

(indicate the name of bank)

Annexure-2 of Schedule 7

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

1. Name of the Firm/Company:
2. Class of Registration with validity date:
3. Value of Registration:
4. Address for Communication:
5. Telephone No.:
6. E-mail:
7. Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification and Experience

8. Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Financial Years (Certified copies of audited Balance Sheet to be submitted):

Financial Year	Annual Turnover (Rs)	Copies of audited Balance Sheet enclosed (Yes/No)
Previous Financial Year (Y-1)		
2nd Previous Financial Year (Y-2)		
3rd Previous Financial Year (Y-3)		

9. PAN, TIN Number of the Firm/Company :
10. Service Tax Registration No.:
11. EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Name and Signature of the Firm/Company

Seal of the Firm/Company

Dated:

Place:

Annexure –3 of Schedule 7

Details of the similar type of Services provided by the Bidder (Refer Eligibility Conditions)

Name of the Bidder:

Year	Name and Type of services provided	Name & Address of the Client	Value of Contract	Remarks
2015-16 (Till Date)				
2014-15				
2013-14				
2012-13				
2011-12				
2010-11				
2009-10				

Note: - The turnover amount should be certified and audited by CA of firm and separate sheet should be enclosed

Signature of Bidder_____

Name & Address of Bidder_____

Seal of the Firm/Company

Annexure–4 of Schedule 7

Declaration regarding black-listing and/ or litigations

I/we hereby declare that our firm/agency is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its owner/partners/directors anywhere in India.

Date the day of 2016

Signature of Bidder_____

Name & Address of Bidder_____

Seal of the Firm/Company